MILA and USIUM The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ₀ 19] No. 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 13, 1995/वेशाख 23, 1917 NEW DELHI, SATURDAY, MAY 13, 1995/VAISAKHA 23, 1937

इस भाग में भिल पृष्ठ संस्वा दो बाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्राजयों (रक्षा मंत्राजय को छोड़कर) श्रीर केंद्रीय अधिकारियों (संव राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के श्रन्तगंत बनाए श्रीर जारी किये गए साधारण सांविधिक नियम (जिनने साधारण प्रकार से आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित है)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defonce) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

गृह मंतालय

नई दिल्ली, 19 ग्रपैल, 1995

गा. का. नि. 228——राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद :09 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त गिवतयों का प्रयोग करते हुए ग्रार पूर्वोत्तर पृतिस अकादमी, बारापानी (समुह "ग" पद) भर्ती नियम, 1989, सा. का. नि. सं. 143, तारीख 17 फरवरी, 1989 की, उन वातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या करने का लोग किया गया हैं, पृह मन्नालय, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी में समूह "ग" के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात् —

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर पुलिस श्रकादमी, बारापानी, समूह "ग" पद भर्ती नियम, 1995 है।
 - (2) ये राजपत्न में प्रकाश की तारीखंको प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना : ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके नेतनमान वे होंगे, जी उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहैताएं उनत पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहैताएं और उनसे संबंधित अन्य बाते दे होंगी जो पूर्ववंक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिण्ट है।

998 GI/95-1

(1043)

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(पोत परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 1995

सा. का. ति. 239:—केन्द्रीय सरकार, प्रकाशस्तम्भ अधिनियम, 1927 (1927 का 17) की घारा 4 की उपधारा (i) के खंड (ड) के साथ पठित घारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सलाहकार सिमिति से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का सिक्षप्त नाम प्रकाशस्तम्भ लेखा और विस्तीय शक्तियों नियम, 1993
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
 - 2. परिभाषा : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) "विभाग से प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत विभाग श्रभिप्रेत हैं।
 - (ख) "महानिदेशक" से प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत महानिदेशक और मुख्य प्रकाशस्तम्म निरोक्तक प्रक्रियेत है।
 - (ग) "उप महानिदेशक" से उपमहानिदेशक, प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपीत विभाग अभिक्रेत है।
 - (घ) "निदेशक" से प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत निदेशक श्रिभिन्नेत है।
 - (ङ) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप ग्रमिप्रेत है।
 - (च) "साधारण प्रकाशस्तम्भ" से कोई ऐसा प्रकाशस्तम्भ स्राभित्रेत है, जिसे केंन्द्रीय सरकार राजस्त में प्रधिसूचना द्वारा भारतीय प्रकाशस्तम्भ स्रधिनियम, 1927 के प्रयोजन के लिए, साधारण प्रकाशस्तम्भ के रूप में घोषित करे।
 - (छ) "प्रकाशस्तम्भ" के अन्तर्गत कोई ऐसा प्रकाश-जलधान, कोहरा संकेतक, बोय, बीकन या कोई चिह्न संकेत या साक्षित्र है, पोतों के मार्ग दर्शन के लिए प्रदर्शित या प्रयुक्त किया जाता है।
 - (ज) "प्रकाशस्तम्भ" कर्मशाला" से प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत विभाग की प्रकाशस्तम्भ कर्मशाला मित्रते है।
 - (झ) "स्थानीय प्रकाशस्तम्भ" से कोई ऐसा प्रकाशस्तम्भ ग्रभिप्रेत है जो साधारण प्रकाशस्तम्भ वही है।
 - (व) "स्थानीय प्रकाशस्तम्भ प्राधिकरण" से ऐसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य व्यक्ति यभिप्रेत है, जिसके प्रधीक्षण और प्रवध में स्थानीय प्रकाशस्तम्भ है।
 - (ट) "वेतन और लेखा प्रधिकारी" से जल भूतल परिवहन मंत्रालय के लेखा नियंत्रक के कार्यालय का वेतन और लेखा प्रधि-कारी प्रभिन्नेत है।
 - (ठ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबड, अनुसूची अभिप्रेत है।
 - 3. विभाग का गठन:
 - (क) भारत सरकार का जल-भूतल परिवहन संज्ञालय, सभी साधारण प्रकाणस्तम्भों के प्रवंध और नियंत्रक के लिए नियंत्रक प्राधिकारी होगा।
 - (ख) प्रकाशस्तम्भों के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार समिति होगी। समिति, श्रन्य बातों के साय-साय प्रकाश शुल्क के लेखे पर विचार करेगी और दर के संबंध में सलाह देगी।
 - (ग) भारत सरकार की सहायता के लिए प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत महानिदेशक और तीन या उससे घ्रधिक उप-महानिदेशक होंगे।
 - महांनिदेशक, प्रकाशस्तम्भ अधिनियम, 1927 के प्रकाशन के संबंध में जल-भूतल परिवहन मंत्रालय को सलाह देगा और विषेश हप से निम्नलिखित विषयों के संबंध में कार्यवाही करेगा :---
 - प्रकाशस्तम्भ इंजीनियरी, जिसके विद्यमान केन्द्रों और उनके पहुंच मागों का धनुरक्षण, मरम्यत और परिवर्तन भी है नए संकर्भ, प्रयोग और प्रकाशस्तम्भ निविदाएं और संविदाएं।
- (ध) कलकत्ता, मद्रास, मुम्बई, जामनगर और पोर्ट ब्लेयर पर प्रकाशस्तम्भ कमेशालाए होंगी। जब कभी श्रावश्यक समझा गया तब नई प्रकाशस्तम्भ कमेशालाएं खोली जाएंगी। 998 GI/95—10

 (ङ) भारत के तटीय क्षेत्र को निम्निखित प्रकाशस्तम्म जिलों में विभाजित किया जाएगा: प्रकाशस्तम्भ जिले का नाम ग्रधिकारिता

(1) जामनगर

(2) मुम्बई

(3) कोचीन

(4) मद्रास

(5) पोर्ट ब्लेयर

(6) कलकत्ता

ग्जरात राज्य

पश्चिम देशांतर रेखांश 72" - 30" - 00 पू.

कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा राज्य और गुजरात राज्य का क्षेत्र जिसका पूर्व देणांतर रेखांग 72" - 30" - 00 पू. है।

केरल राज्य और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र।

तमिलनाडू राज्य पांडिचेसी संघ राज्यक्षेत्र और धान्ध्र प्रदेश राज्य जिसका सीमा 16" - 16" - 00 पू. आक्षांण है।

अंदमान और निकोबार हीए।

चीचमी बंगाल, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश का भाग, उत्तर देशांतर रेबांस 16" - 16" - 00" पू. है।

टिप्पण : केरल राज्य में बल्लेपी, क्वीक्स्पोतक, बंबल्लेपी बाउट (स्वीलीन) अंजेगीं और विलिंजन पर अवस्थित प्रकाश-स्तम्भ, जो इस समय मद्रास जिले के निरंगक के प्रकारकोत है, कुनक बतुकर में कोचीन प्रकाशस्तम्भ जिले में प्रकाशस्तभों के अनुरक्षण के लिए उपलब्ध पर्याप्त सुविधाओं और ताइनों कर किकार करते हुए अंतरित किए जाएंगे।

- (ii) प्रत्येक प्रकाशस्तम्म दिला हेले क्लिक के प्रकाश की नियंद्रण के अधीन होगा, जो अपने जिले में प्रकाशस्तमों के साधारण प्रशासन के लिए क्डानिदेशक के प्रति उत्तरदानी है।
- (घ) प्रकाशस्तम्भ दो श्रेणियों में विभावित किए वए हैं:---
- (i) अनुसूची 1 में 'विनिद्धिट सामास्य प्रकारमा का को गुजरने बाते ब्यापार के फायदे के लिए हैं, भारत सरकार द्वारा अनुसूची - 2 में उत्तिबिक क्षेत्र करिकृत कर उत्तक्ति कुन्हों में हे अनुरक्षण किया जाएगा।
- (ii) "स्वानीय प्रकाशस्तम्म" कर्वात् ऐसे प्रकाशस्तम्म को मुख्य कर से किसी विशिष्ट पत्तन में पोतों के प्रवेश करने या वहां से निकलने के लिए उपयोग में काते हैं। स्वानीय प्रकायस्त्रमों का जनुरक्षण स्थानीय प्रधिकारी द्वारा किया जाएगा, को कि साधारण पत्तन प्राधिकारी होता है। कास्त तस्कार द्वारा ऐते स्थानीय प्रकाशस्त्रभों के, जिनका उपयोग गुजरने बाले व्यापार द्वारा विद्वलों के रूप में भी किया काता है उनुरक्षण की व्यवस्था करने के लिए अनुदान दिया जा सकेगा।
- 4. लेखाओं का नाधारण स्वरूप :-
- (i) लेबाओं का साधारण स्वस्य और साधारण प्रसामनाम्यों से संबंधित वितोप संव्यवहारों के अभिलेख संबंधित प्रक्रिया दो भागों में होगी, एक भाग में :-
 - (क) आय और व्यव लेका और दुसलात होना और दुसरे मार ों,
 - (ख) विस्तृत सरकारी लेखें को कारी स्वा काएना जिसने कि उनमें से उनबंड (क) में उनवींगत लेखा तैयार करना सुकर
- (ii) विभाग के वित्तीय संव्यवहारों को वैतन और तेखा विश्वकारी द्वारा अनुसूची 3 में दिए गए विभिन्न शीर्षों के अधीन लंबबद किया जाएगा।
- (iii) यह अभिनिश्चित करने की दृष्टि ने कि क्या बकावस्तम्य सेवा स्वावलंबी है, सरकारी लेखे के अंतर्गत साधारण चालू ब्ययों और वार्षिक अनुरक्षण के अतिरिक्त कतित्व ब्यव का पूर्वीकृत ब्यव के रूप में और निम्नलिखित प्रभारों का राजस्य ब्यय के रूप में अभिलेख रखने के लिए व्यवस्था की बाएगी :-
 - (क) सरकार के किसी ऐसे अधिकारी की, को प्रकाशस्त्रम और प्रकाशपीत विभाग के लिए कोई सेवा कर रहा है, सेवा लागत का एक भाग वैतन और लेखा अधिकारी को प्रति वर्ष ऐसी सेवा लागत की एक प्रति भेजी जाएगी।
 - (ख) सरकार के अन्य विभागों द्वारा किए गए प्रदायों और दी गई सेवाओं का मूल्य, जिसके अन्तर्गत प्रदाय की गई लेखन-सामग्री और किए गए मुद्रण कार्य का मूल्य भी है।
 - (ग) अन्य स्थानीय प्रकाशस्तम्भों को संदेय अभिदाय ।

- (घ) वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विहित दर पर प्रभाये ब्याज।
- (इ) स्थिर आस्तियों का अवक्षयण।
- (घ) पेंशनिक दायित्व के लिए वार्षिक प्रभार।
- (छ) लेखा और संवरीक्षा लागत । नेमी वित्तीय विषयों से संसवत व्यय से संबंधित प्रक्रिया का अनुपालन
- उन संव्यवहारों से संबंधित नियमों का जो प्रशासन की सभी घाडाओं जैसे बेतन का आहरण, वाला व्यय और आकस्मिक व्यय के लिए धन आदि के लिए सामान्य हैं, अनुपासन किया जाएगा।

प्रकाशस्तमभी और प्रकाशपोतीं पर लेखा संबंधी नियम

6. स्थिर आस्तियां :— प्रकाशपाल बाई एस एच प्रक्य सं. 6 में, फर्नीचर, फिटिंग मशीन के अतिरिक्त पुत्रों आदि की एक सूची बनाएगा जिसमें नुक्सानी, टूट-फूट आदि की, जैसी ही वे होती है, प्रविध्िट की जाएगी। इस अभिलेख में से कोई वस्तु तब तक नहीं काटी जाएगी जब तक वह अनुपयोगी न हो या उसे प्रकाशस्तम्म और प्रकाशपोत निदेशक या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसे वैयक्तिक निरीक्षण के पश्चात् यह शक्ति प्रत्यायोजित की जा सकेगी, अपलिखित न किया गया हो;

परन्तु ऐसी कोई वस्तु, जिसका अपितिखित करने के समय मूल मूल्य प्रकाशस्त्रम्न और प्रकाशरोत महानिदेश को "विभागाध्यक्ष" के रूप में वित्तीय शक्ति से अधिक हो, भारत सरकार की पूर्व मंजूरी के विना उपितिखित नहीं की जाएगी।

7. प्लबमान ग्रास्तियां: भंडार का लेखा रखने के संबंध में प्रिक्रिया नियम 35 से 39 में उल्लिखित की गई है।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड के कार्यालयों में शुल्क प्रकाश की बसूली या उसके प्रतिदाय से संबंधित लेखा के विनियमित करने वाले नियम।

- 8. (1) वे वर्ग, जिनमें पोत विभाजित किए जाएंगे और संदेय प्रकाश-शुल्क की दर दिशत करने थाला विवरण श्रनुसूची 2 में दिया गया है। शुल्क की वसूली सीमाशुल्क श्रधिकारियों द्वारा की जाएगी जिन्हें श्राई.एल.एच. प्ररूप सं. 9 की ऐसी पुस्तकों का प्रदाय किया जाएगा जिनमें प्रत्येक में 100 प्ररूप होंगे। यह श्ररूप दो भागों में होगा। जिस भाग पर "प्रतिपर्ण" चिह्नित हो, वह प्रथम प्रति होगी और जिस भाग पर रसीद चिह्नित हो, वह भाग वियोजित किया जा सकेगा। शुल्क की वसूली करने वाले सीमा-शुल्क के श्रधिकारी प्ररूप में पूरे विवरण दर्ज करेंगे। रसीद पोत के मास्टर या श्रभिकर्ता को भेजेंगे और सौंप देंगे। शुल्क वेतन और लेखा श्रधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।
 - (2) प्रतिदाय के लिए दावा, दावेदार द्वारा निकटतम पत्तन पर सीमा-शुल्क श्रधिकारियों को आई. एल.एच. प्ररूप सं 10 में दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा किंतु जल भूतल परिवहन मंत्रालय के विशेष प्राधिकार के बिना विशेष रूप से प्रतिदाय मूल रसीदों प्रस्तुत किए बिना नहीं किए जाएंगे। जब कभी सीमाशुल्क श्रधिकारियों द्वारा प्रकाश शुल्क का प्रतिदाय श्रनुज्ञात किया जाए तब उसके द्वारा आई.एल.एच. प्ररूप सं. 11 में श्रमिलिखित प्रकाश शुल्क की रसीद में मूल प्रविध्टियों के सामने इस प्राध्य का एक टिप्पण दिया जाएगा।
 - (3) सीमाशुल्क विभाग के प्रधिकारी, प्रकाश शुल्क के लेखे समस्त वसूली का लेखा-जोखा सर्वप्रथम "8658-उचत खाता—वेतन और लेखा प्रधिकारी-उचंत-वेतन और लेखा प्रधिकारी, प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत, नई दिल्ली द्वारा समायोज्य मदें" शीर्ष के प्रधीन भारतीय लोक लेखे में देंगे। यह सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग के विभिन्न वेतन और लेखा प्रधिकारियों के उपरोक्त लेखा शीर्ष तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के समेकित लेखे के प्रधीन प्रकट होगा। सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग का वेतन और लेखा प्रधिकारी, मासिक लेखा बन्द करने से 15 दिन के भीतर ऊपर निर्दिष्ट "8656-उचंत शीर्ष" के प्रधीन की गई वसूलियों को उसके द्वारा सीमा शुल्क प्राधिकारियों में प्राग्त माई.एल.एच. प्ररूप सं. 11 की प्रतियों से मिलाएगा और वसूलियों को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से दिल्ली/नई दिल्ली पर संदेय चैंक द्वारा आई.एल.एच. 11 की एक प्रमाणित प्रति सहित वेतन और लेखा प्रधिकारी को प्रेषित करेगा। सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के वेतन और लेखा प्रधिकारियों द्वारा वेतन और लेखा प्रधिकारी को किए गए प्रेषण ऊपर निर्दिष्ट उचंत शीर्ष को विकलित किए जाएंगे। सीमाशुल्क विभाग के प्रधिकारी, प्रतिदाय की सभी वसूलियों के विवरण की ग्राई.एल.एच.-11 प्ररूप में तीन प्रतियाँ तैयार करेंगे। विवरण की एक प्रति प्ररूप ग्राई.एल.एच.-9 में रसीदों के प्रतिपर्ण और प्रतिदाय वाजचर, यदि कोई हों, की दूसरी प्रति/प्रतियों सहित महानिदेशक को मेजी जाएंगी।

प्ररूप माई.एल.एच.-11 में विवरण की दो प्रतियां, सीमा-शुल्क विभाग के स्रधिकारियों द्वारा सीमा-शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वितन और लेखा प्रधिकारियों की भेजी जाएंगीं। सीमाशुल्क यिभाग के श्रधिकारी प्रतिवर्ध पूर्ण विशिष्टियों सहित उद्महीत प्रकाश-शुल्क दश्वींने वाला एक सारांश भी तैयार करेंगे और दस सारांश की एक प्रति वर्ष महानिदेशक को प्रस्तुत करेंगे। (4) सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली आई.एल.एच. प्ररूप संख्या 9 से 11 से संबंधित प्रक्रिया धनुसूची 5 में अंतर्विष्ट है।

प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपीत महानिदेशक के कार्यालय में लेखा रखने संबंधी नियम :---

- 9.(1) महानिदेशक, जैसा कि नियम 8 के उपनिवम (3) में उल्लिखित है, सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों के प्ररूप प्राई.एल.एच.

 II प्राप्त करने के पश्चात् प्रतिपनों आदि से प्रविध्विं की जांच करेगा और प्रकाश शुल्क की बसूली में कोई फर्क होने की दशा में, सीमाशुल्क विभाग के संबंद अधिकारियों को लिखकर आगे कार्रवाई करेगा। महानिदेशक, प्रकाशशृल्क की वसूली को वैतन और लेखा अधिकारी की पुस्तकों में यथा-दिख्त चैकों की वस्तविक वसूली से भी मिलाएगा।
- (2) सभी संदाय, ऐसे निदेशकों द्वारा, जिन्हें चेक तिखने की मक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, तैयार बिलों के आधार पर चंक जारी करके किए जाएंगे। महानिदेशक, बेतन और लेखा अधिकारी को प्रस्तुत किए गए बिलों के माध्यम से धन प्राप्त करेगा। जब निदेशकों द्वारा जारी किए गए चैंकों के आधार पर धन निकाला जाता है तब ऐसे सभी बिलों की प्रतियां जिन के साथ जहां आवश्यक हो, वहां बाउचर भी लगे हुए हों, उस मास से, जिस को धन निकाला जाता है, अगले मास की सात तारीख की पश्चात् बेतन और लेखा अधिकारी को विभिन्न प्ररूप में भेजी जानी चाहिए।
- 10. भंडार: निदेशक, भंडार लेखा और नियंत्रण पर कड़ी निगरानी रखेंगे और अपना यह समाधान करेंगे कि प्राप्त और जारी सभी भंडार को सम्यक् रूप से लेखबढ़ किया गया है और अंडार के लेखाकरण से संबंधित प्रक्रिया का नियम 35 से 39 में किए गए उल्लेख के अनुसार सम्यक् रूप से अनुपालन किया गया है।
- 11. अवस्तवण: महानिदेशक, आई.एल.पच. प्ररूप संख्या 6 में स्थिर आस्तयों का एक रिजस्टर रखेगा। उसके द्वारा प्रति-वर्ष स्थिर आस्तियों पर अवक्षयण की कुल रकम आई.एल.एच. प्ररूप संख्या 7 में निकाली जाएगी और आवश्यक समायोजन को व्यवस्था करने के लिए विवरणी की एक प्रति वेतन और लेखा अधिकारी को भेजी जाएगी। इस संबंध में नियम 22 से 25 के उपबंधी का अनुपालन किया जाना है।
- 13. नियम 8 के उपियम (1) और (2) तथा नियम 9 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट आप और व्यय की मदों के अतिरिक्त, निम्निलिखित संव्यवहारों की बाबत प्रविष्टियां नियम 4 में निर्दिष्ट वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा सरकारी लेखाओं में अभिनिलिखित की जाएंगी।
- (क)(1) किसी स्थानीय प्रकाशस्तम्भ प्राधिकारी से साधारण प्रकाश स्तम्भ के प्रबंध के लिए प्राप्त रकमें।
- (2) सरकार से नियम उ29 में निर्दिष्ट ग्रवक्षयण ग्रारिविति और साधारण ग्रारिक्षती निधि पर प्राप्त ब्याज।
- (ख) निम्नलिखित मदों पर ब्यय के संबंध में संदाय समायोजन सरकारी लेखाओं में वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा कियां जाएगा, सर्यात् :—

प्रत्यक्ष प्रभार

- (1) जल भूतल परिवहन मंत्रालय या किसी अन्य संगठन के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द द्वारा प्रकाश स्तम्भ और प्रकाशपोत विभाग में सेवा के दौरान दी गई सेवाओं की लागत का भाग।
- (2) सीमाशुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रकाश शुल्क की वसूली है लिए किए गए कार्य संबंधी प्रभार।
- (3) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रकाण स्तम्भ और प्रकाशपोत विभाग के लिए किए गए कार्य संबंधी प्रभार।
- (4) सरकार के अन्य विभागों द्वारा किए गए प्रदायों या दी गई सेवाओं का मूल्य।
- (5) स्थानीय प्रकाश स्तम्भ के श्रासपास स्थित किसी साधारण प्रकाश स्तम्भ के प्रबंध को हाथ में लेने के लिए किन्हीं स्थानीय प्रकाश स्तम्भ प्राधिकारियों को किए गए संदाय।
- (6) किसी ऐसे स्थानीय प्रकाश स्तम्भ की बाबत, जिसा उपयोग गुजरने वाले व्यापार के जिल्ल के रूप में किया जाता है, किए गए अभिदाय।

ग्रप्रत्यक्ष प्रभारं:--

(7) स्मिरं म्रास्तिमों पर भवक्षयण।

- (8) पेंजनी प्रभार।
- (9) पंजी पर ब्याज।

उपरोक्त मदों की बाबत सूचना महानिदेशक द्वारा वेतन और लेखा श्रधिकारी को दी जाएगी।

पेंशनी प्रभार: --14

> पेंशनी प्रभार बेतन और लेखा अधिकारी द्वारा ऐसी दरों पर जो भारत सरकार द्वारा विहित की जाए वर्ष के मार्च मास के प्रथम सप्ताह के दौरान संगणित किए जाएंगे और वर्ष के लेखा में ग्रावश्यक समायोजन की व्यवस्था की जाएगी। प्रभार वर्ष के दौरान लेखबद्ध किए गए कुल स्थापन खर्च के श्राधार पर संगणित किए जाएंगे। ऐसे कोई श्रन्य परिवर्तन, जो उस तारीख के पश्चात् पेंशनी प्रभारों के ग्रांकड़ों में ग्रावस्थक पाए जाएं, पश्चात्वर्ती वर्ष में समायोजित किए जाएंगे।

- प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत महानिदेशक, नई दिल्ली को दी जानी वाली मासिक विवरणी
- (1) वेतन और लेखा अधिकारी, महानिदेशक को आई. एल. एच. प्ररूप संख्या 1 में प्राप्तियों और व्यय संबंधी एक ऐसी मासिक विवरणी देगा जो उसके कार्यालय के ग्रमिलेखों से संकलित की गई हो जिससे कि महानिदेशक वाणिज्यिक लेखाओं को ग्रमिलिखित और उसका निर्धारण करने में समर्थ हो सकें और उसके ब्राधार पर विभाग की प्राप्तियों और व्यय पर नजर रखें सकें। यह विवरणी प्रत्येक जिले के लिए, जिसके अंतर्गत महानिदेशक का मुख्यालय भी है, पृथक रूप से तैयार की जानी चाहिए। उपर निर्दिष्ट मासिक विवरणी की एक प्रति वेतन और लेखा ग्रधिकारी द्वारा विभागीय शांकड़ों के श्रावश्मक मिलान के लिए संबंधित निदेशक को भेजी जाएगी।
- (2) वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा लेखबढ मासिक व्यव/प्राध्ति आंकड़ों के प्राध्त होने पर, मिलान कार्य प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत महानिदेशक, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा किया जाएगा और उसके आंकड़ों मिलान किए हुए आंकड़े होंगे।
- प्रकाण स्तम्भ और प्रकाण पोत महानिदेशक, नई दिल्ली के कार्यालय ले लेखा रखने संबंधी नियम वाणिज्यिक लेखा बहियां :---

वेतन और लेखा मधिकारी द्वारा रखे गए नियमित सरकारी लेखों के म्रतिरिक्त महानिदेशक संव्यवहारों को वाणिज्यिक रूप में लेखवद्ध करने के लिए आई.एल.एच. प्ररूप सं. 2 में एक रोजनामचा और आई.एल.एच. प्ररूप सं. 3 में साधारण खाता रखेगा। प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर उससे एक भ्राय और व्यय लेखा भ्राई.एल. एच. प्ररूप संख्या 4 और तुलन-पत्र (श्राई.एल.एच. प्ररूप सं. 5) तैयार किया जाएगा। चूंकि पद्धति के कार्यकरण का निर्णय, संपूर्ण रूप से प्रकाणस्तम्भ प्रशासन के वित्तीय परिणामी के प्रति निर्देश से न कि प्रत्येक जिले केप्थक् यांकड़ों के प्रति निर्देश से किया जाएगा, इसलिए यथासंभव विभिन्न जिलों में संगृहीत राजस्व और उपगत व्यय दर्शाति के लिए प्रत्येक ग्राय और व्यय लेखा तथा तुलन-पत्न संपूर्ण पद्धति के लिए स्तम्भ रूप में समेकित होगी।

- लेखाओं के प्ररूप: लेखाओं के प्ररूप, विशेष रूप से प्रोफार्मा लेखा थाय,
 - (1) ग्राय भीर व्यय लेखां भीर तुलनपत्न भी उपरोक्त ग्रनुदेशों को ध्यान में रखने के पश्चात् तैयार किये जायेंगे
 - (2) वर्ष 1973-74 के लेखें के सरकारी पूंजी दायित्व पक्ष में निम्नलिखित रूप में दर्शाई जानी चाहिये:--
 - (क) सरकारी पूंजी लेखा जो कि स्थिर ग्रास्तियों (शुद्ध) ग्रीर पुंजी लेखे पर ग्रन्थ व्यय के समतुल्य होगा।
 - (ख) राजस्व व्यय के लिये सरकारी चालू लेखा।
- (3) संबंधित जिले के निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी ग्रधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर स्टाक की जांच की जायेगी और उसके परिणाम उनके द्वारा स्टाक रिजस्टर में दर्ज किये जायेंगे जिसका मूल्यांकन लागत कीमत के बाधार पर किया जायेगा । 1 अप्रैल, 1929 से विभाग के केन्द्रीयकरण के समय अपनाये गये मूल्यांकन के आधार पर महानिदेशक द्वारा रखे गये रजिस्टर में दिशत क्षयशील श्रास्तियों का किया गया मूल्यांकन और उस समय अपनाई गई प्रधिसंभात्य जीवन अवधि भी सम्मिलित की जायेगी, जब कभी नई आस्तियों का अर्जन किया जाता है तब अर्जन लागत के माधार पर उनके मूल्य रिजस्टर में लेखबढ़ किये जायेंगे। श्रास्तियों का जीवनकाल अनुसूची 4 में दिये गये फार्मूले के श्राधार पर लेखबढ़ किया जायेगा । जिले के निदेशक श्रीर महानिदेशक प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें प्रदाय किये गये माल या दी गई मन्य संवाधीं के बदले संदाय किया गया है (लेनदार) धीर ऐसे व्यक्तियों जिनसे संदाय देय हैं (देनदार), ते संबंधित वित्तीय संव्यवहारों के ब्यौरे तैयार करेंगे । जिले के निवेशक विवरिणयों को वाणिज्यिक लेखांग्री में सम्मिलित करने के लिये महानिवेशक को भेजेंगे।

- 18. साधारण बाता में लेखा-नाबारण बाते में निम्नलिखित लेखे खोले जायेगें।
- (1) सरकारी पूंजी लेखा (श्रीचत ग्रीवशेष के समतुल्य)
- (2) सरकारी चालू लेखा ।
- (3) प्रकाश स्तम्भ, प्रकाश बलवानों, कोहरा संकेतों, बोया, बीकन, पोतों के मार्गदर्शन के लिये प्रदर्शित या प्रयुक्ते प्रत्य चिन्हों, संकेतों वा साधियों, संयंत्र श्रीर मशीनी फर्नीचर श्रीर फिटिंग श्रादि से भिन्न भूभि, भवना के जिबे पृषद शास्ति तेया।
- (4) प्रकाश सुत्क तेखा।
- (5) प्राप्त ग्राभिदाव
- (6) प्रकीर्ण प्राप्ति
- (7) राजपवित स्थापन का बेतन
- (8) घराजपवित स्वापन का वेतन
- (9) यन्त्र भत्ते
- (10) संब्रहण व्यव
- (11) संदत्त ग्रनिदाय
- (12) द्वपाया गया स्टीर
- (13) निविवास्रों (जलयानों) का अनुरक्षण
- (14) मरम्मत और अनुरक्षण
- (15) अन्य प्रकीण प्रभार
- (16) प्रतिकर
- (17) पूंजी पर ब्याज (नियम 19 देखिए)
- (18) प्रवक्षयण रिजर्व में अभिदाय
- (19) पेंशन संबंधी प्रभार
- (20) लेखा परीक्षा फीस
- (21) ग्राय ग्रीर भव लेखा
- (22) विविध देनदार लेखा
- (23) विविध लेनदार लेखा !
- (24) अवश्रयण प्रारक्षित सेखा
- (25) अवक्षयण निधि-विनिधान लेखा
- (26) सामान्य प्रारक्षित निधि विनिधान लेखा

टिप्पण :--

इस नियम में दी गई खातों की सूची सम्पूर्ण नहीं है ग्रौर जब कभी भी ग्रावश्यकता हो तो श्रतिरिक्त खाते खोले जा सकते हैं। यदि खातों की संख्या ग्रधिक हो तो व्यक्तिगत खातों पर दे लिये एक ग्रलग बही खोली जा सकती है।

19. वाणिज्यिक लेखा बहियों में प्रारम्भिक प्रविष्टियां

रोजनामचे में नई बहियों के खोले जाने की तारीख को निम्नलिखित प्रविध्यां की जायेंगी, भूमि, प्रकाण स्तम्भों से भिन्न भवन, प्रकाश जलयान, कोहरा, संकेत, बोया, बीकन, पोतों के मार्गदर्शन के लिये प्रदिशत या प्रयुक्त अन्य चिन्ह संकेत या साधित, संयंत धौर मशीनरी, फर्नीचर और फिटिंग, भंडार (जिसके अन्तर्गत कोयला, ईंधन, तेल और रतद भी है) विविध देनदार और उस तारीख को उनके मूल्य के साथ नकद का विकलन किया जायेगा, विविध लेनदार के नाम में देय रकम जमा की जायेगी धोर भतिशेष को अधिशेप खाते में जमा किया जायेगा। तब बहियों खोले जाने की तारीख को विधिन्त लेखों के अधीन धतिशेषों की आई. एल. एच. रोजनामचे से खाता लेखा में प्रविध्य की जागेगी।

20. श्राय श्रीर व्यय का अभिलेख

येतन और लेखा प्रधिकारी से प्राप्त प्राई. एल.एच. प्ररूप संख्या 1 में दिणत बसूल की नई कुल प्राप्तियों और उपगत व्यय का सामान्य खाते में खोले नये विभिन्न लेखाओं के अन्तर्गत विश्लेषण किया जायेगा । प्राप्तियों को सरकारी खातों में विकलन द्वारा समुचित खातों में जमा किया जायेगा और व्यय को सरकारी चालू खाते में जमा करके समुचित खातों में विकलित कि जायेगा। वैतन और लेखा अधिकारी के माध्यम से समायोजित अप्रत्यक्ष व्यय, जैसे ब्याज पेंगन संबंधी भारों, अवक्षयण प्रभारों को कई जिलों में वितरित करने का भकोई प्रयास नहीं किया जायेगा। इन प्रभारों को मुख्यालय के अधीन प्रदिश्व किया जायेगा।

21. ब्याज

न्याज की संगणना केन्द्रीय सरकार के जिल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये छन्देशों के छनुसार की जायेगी । 22. छनक्ष्यण

प्रवस्तयण होने वाली प्रास्तियों को निश्चित किस्त प्रणाली जिसे समान्यतया सरल रेखा प्रणाली कहते हैं ध्रपमायी जायेगी। इस प्रणाली के बन्तर किय प्रास्तियों के सम्मिति भावी जीवनकाल के संदर्भ में प्रवधारित एक निश्चित प्रतियात प्रतिवर्ष बट्टे दाने में डाल दिशा जाता है। प्रवस्तयण नई प्रास्ति के प्रारंभ होने/उपयोग किये जाने की तारीख से प्रभारित किया जायेगा। ऐसी दशा में बहा बहु प्रविधि वितीय वर्ष प्रारंभ होने के पश्चात् भ्राती है प्रवक्षयण अगले वित्तीय वर्ष के ग्रारंभ से प्रभारित किया जायेगा। ऐसे वर्ष में जिसमें प्रास्ति अनुपयोगी घोषित हो जाती है या निपटा दी जाती है, न तो कोई प्रवक्षयण प्रारं न हो कोई प्रभिदाय किया जायेगा। ग्रास्ति की प्रवक्षयण दरें भीर प्राक्तित समान्य जीवनकाल का प्रवधारण नियम 11 में बचा उल्लिखित के प्रनुसार महानिदेशक द्वारा किया जायेगा। श्रवक्षयण की लिये सामयोजन की जाने वाली रकम के साथ विवरणी की एक प्रतिवेतन तथा लेखा प्रधिकारों को प्रावस्थक समायोजन करने के लिये भेजी जायेगी। प्रथ भूमि ग्रीर प्राकृतिक रूप से भूमि ग्रवतरणों की बावत कोई प्रवक्षयण नहीं प्रदान किया जायेगा। इन ग्रस्तियों की राजस्व में खर्च से वार्षिक मरम्मत की जायेगी ग्रीर उसे भ्रच्छी हालत में रखा जायेगा। नोका डाक ग्रीर भूमि अवतरण की जिट्टी तथा बृहत कंकरीट ग्रवक्षयण आस्तियों में मानी जायेगी।

23. क्षयशील श्रास्ति के बदलने पर होने वाला व्यय

क्षयशील श्रास्ति को बदलने पर होने वाला व्यय भारत सरकार की सहमित से होगा श्रोर उस श्रास्ति के लिये श्रवक्षयण श्रारक्षिती में रखी गई रकम की सीमा तक होगा जिसकी पूर्ति श्रवक्षयण श्रारक्षिकरण लेखा से की जायेगी। श्रास्ति का मूल लागत या ऐसी दशा में जहां श्रास्ति वर्ष 1929 में केन्द्रीयकरण के समय श्रपनायी गई थी । उस तारीख को श्रास्ति का मूल्य श्रीर श्रवक्षयण श्रारक्षिती तथा विश्रय श्रागमों सहित श्रवक्षयण श्रारक्षिती के लिथे उस श्रास्ति से संबंधित श्रमिदत्त रकम के बीच का श्रन्तर श्राय श्रीर व्यय लेखा में विकलित किया जायेगा।

24. क्षयशील आस्ति के लाभ-हानि प्या लेखा:--

जब विद्यमान भ्रास्ति भ्रनुपयोगी हो गई हो भौर उसका निपटान किया गवा ही ती, उसके विश्रय हानि/लाभ को निम्नलिखित ब्यौरे पर विवचार करने के पश्चात् खाते में लिखा जायेगा। (काल्पनिक संख्याएं दी गई हैं):—

1-1		क्पवे	वैसे
	श्रास्ति की मूल लागत	6,000	.00
(2)	बदले जाने का विक्रय की तारीख से प्रदत्त श्रवक्षयण	4,000	0.0
(3)	ग्रास्ति का ग्रवलिखित मृत्य		
(4)	विकयं से वसूला गया मृत्य	2,000	.00
		500	.00
	ग्राय ग्रीर व्यय लेखा में ग्रन्तरित की गई रकम/हानि	1,500	.00

- (6) यदि, आस्ति के विकय से लाभ होता है तो लाभ उसी तरह आम और व्यय लेखा में म जमा किया जायेगा।
 - (7) यदि किसी ग्रास्ति पर ग्रवक्षयण ग्रारक्षण का सृजन किया क्या है तो ग्रास्ति के विक्रय पर--
 - (क) मूल लागत
 - (ख) उपबंधित अवक्षयण को घटा कर
 - (ग) अवलिखित मूल्य

- (घ) जोड़े ग्रास्ति का ग्रवक्षयण ब्रारक्षिती कुल मृत्य
- (ङ) त्रिय मागम
- (क) विकय से लाभ-हानि

25. मनावर्ती व्यय को म्रिभिलिखित करने की वित्तीय प्रक्रिया

सरकारी नेखा पद्धति एक वर्ष में उपनत व्यय एक ने अधिक वर्षों के लेखों में से प्रम्पारित करने की अनुजा नहीं देती। किन्तु, यह प्रकाश जलगान की ओवर-हालिय जो कई वर्षों में एक बार की जाती है जिस पर इस शीर्ष के अधीन भौसत वार्षिक व्यय से अधिक व्यय होता हैं (जैसे अनावर्तों व्यय मद के लिये अनुज्ञय है। ऐसी दशा में व्यय एक वर्ष के आय और व्यय लेखा में प्रभारित किये जाने के बदले, भारत सरकार के आदेश के अधीन कई वृषों की आय और व्यय की शृंखला में से किया जा सकेता । यह ऐसे व्यव की अवत्रवेष आरक्षण लेखा में प्रभारित करके किया जा सकता है भारत सरकार द्वारा जैसा आदेश दिया जाये राजस्व ने उनके अनुसार 3, 5, या 10 वर्षों में साम्याण संदाय करके आरक्षण में पुनः पूर्ति की जा सकती है।

26. लेखा और सेवा परीक्षा लागत

प्रभारित की जाने वाली रकम में दोवबर बार दीपपोत विभाग के लेखा की लेखा परीक्षा के लिय प्रभार भी सम्मिलित है। लेखा परीक्षा बोर्ड के सदस्य एन कार्य पर हुई लागत के श्रंकों की सूचना वर्ष में एक बार लेखा प्रश्प में दग जो इसे ब्यय के तौर पर दशाएगा तका नुकन-पह में अनमोचित दायित्य के रूप में बना रहेगा।

27. ग्रन्थास्य ऋणी ग्रौर लेनदार:-

श्राय श्रीर व्यय लेखा में उस वर्ष के दौरान प्रोद्भूत श्राय सम्मिलित की जानी चाहिय चाहे वह वास्तिक का से प्राप्त हुई हो या नहीं और वर्ष के दौरान उपगत व्यय चाहे उसका वास्तिविक रूप से संदाय किया गया हो या नहीं प्रमिलित किया जाना चाहिए ताकि तुनतरन में विभाग की यर्थार्थ विसीय स्थिति दिशात की गई हो। ऐसी श्राय का वर्षारा जो वर्ष के दौरान प्रोद्भूत हुई हो। किन्तु वास्तिविक रूप से प्राप्त नहीं हुई हो अन्यान्य ऋणी के रूप में दर्शीया जायेगा श्रीर तुलनपत्न में दिशात किया बायना।

उसी प्रकार वर्ष के दौरान ब्यव की ऐसी सबस्त सदें जो वास्तविक रूप से संदत्त नहीं की गई हैं अन्यान्य लेनदारी की सूची में सम्मिलित की जाएंगी और उत्तन पत्र में दिश्त की जायजी।

28. पूंजी और राजस्व के बीच ब्यद का बाबंटन

पूंजी और राजस्व और मदलयम निष्टिके बीच व्यय के आवंटन शासित करने के निम्नलिखित सिद्धान्त होंगे :---

- (क) पूंजी खाते में जमा ब्या में बातिरिक्त प्रकाशस्तमों भीर प्रकाश जलयानों ग्रादि के सन्तिर्माण भीर क्या नए भवनों के निर्माण या क्या भादि की सावत भीर प्रत्येक व्यक्तिक मामले में विद्यमान भवनों उपस्कर फर्नीचर और फिटिंग आदि के परिवर्तनों के लिए 5000 के से स्विष्ट की लागत सम्मिलित है।
- (ख) धनुरक्षण मरस्मत भीर छोट नदोकरण कार्य, जो आस्तियों की जीवन भविध या अर्जन क्षमता पर नहीं डालता है, राजस्व पर प्रभारित किया जायना।

29. सरकार के पास निक्षपित निधि:

भवक्षयण भ्रीर सामान्य रिजर्व निधि सरकार के पास रखी जाएगी श्रीर उस पर सरकार द्वारा हर वर्ष विहिन पर से ब्याज अनेंदेय होगा। इन निधियों में ब्याज को "प्रकीण प्राप्ति" के रूप में माना जाएगा और निधि में जमा नहीं किया जाएगा।

- 30. वाणिज्यिक बहियों का बंद किया जाना—(1) नियम 18 में लेखा सं. 5 से 22 के अतिशय को बंद किया जाएगा आई एल.एच. और प्ररूप संख्या 4 में ग्राय ग्रीर ब्यंथ लेखा तैयार किया जाएगा भीर अधिगोध कमी का प्रक्षिनियचय किया जायगा।
- (2) वाणिज्यिक वही प्रत्येक वर्ष बंद की जाएगी और भारत सरकार , वित मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए वए धनुदेशों के धनसार धाय भीर व्यय लेखा तथा तुलनपत्र तैयार किया जाएगा मार्च धनुपरक के लिए सरकारी लेखों के बंद किए जाने के तुरन्त पश्चात् ही 31 मार्च, को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखाओं को बंद कर दिया जाएगा बत वर्ष के लेखाओं के किसी भी धेष ध्रसमायोजिल संव्यवहार को ग्रगले वर्ष के लेखाओं में सम्मिणित किया जाएगा।

करोड़ वर्ष के अधिशोप या कमी को सामान्य रिजर्ब निधि में अन्तरित कर दिया जाएगा और ऐसी अन्तरित की रहन को जुबता बेतन और लेखा अधिकारी को देदो जायगी ताकि वह सरकारी लेख में आवश्यक समायोजन कर सके

31. सांख्यिकी सूचना

केन्द्रीय प्रकाश स्तम्भ सिमिति सालहकार प्रकाश स्तम्भी को यह ग्रमिनिश्चित करने में समर्थ बनाने के लिये कि क्या उद्यहीत शोधय वास्तव में ऐसे सम्पूर्ण व्यय के लिए ग्राशियत है, जिसके लिए ये रखे गए हैं ग्राय भीर व्यय ने लेखा नीचे निम्नलिखित प्ररूप में सार दिया जायगा:—

ः विशिष्टियां

वास्तविक टन भार

- (1) विदेश गामी पोतों का टनभार
- (2) गृह व्यावार पोतों का टन भार
- (3) माल पोतों का टन भार

कुल संग्रहित शोध्य.....

32. स्थिर ग्रास्तियों का रजिस्टर:--

स्थिर आस्तियों के अवक्षयण के कार्य के लिए एक रिजस्टर महानिदेशक के कार्यालय में वित्तीय पुस्तक के समनुपणी के रूप में रखा जायेगा । इस रिजस्टर को अनेक मागों में विमाजित किया जायेगा । प्रत्येक भाग स्थिर आस्तियों जैसे भवन, प्रकाश-स्तम्भ मीनार, मागं और भूमि प्रकाश-पोत, प्रकाश स्तम्भ टेंडर, कुहरा संकेत, बीया तथा बीकन, के लिए प्रदिश्तित या उपयोग किए गए पोतों के मार्ग-दर्शन अन्य चिन्ह और संकेत 'या' साधित श्रेणी के लिए आरिक्षित रखा जाएगा । स्थिर आस्तियों, जैस फर्नोचर तथा उपकरणों में विनिधान की गई पूंजीगत लागत वाणिज्यिक लेखाओं प्रयोजन के लिए नियम 28 में यथाउल्लिखित अनुसार निरन्तर अकों में रखी जाएगी। सभी प्रतिस्थापन राजस्व से किय जायग। इन वस्तुओं के लिय ब्यौरे-वार अनक्षयण रिजस्टर रखना आवश्यक नहीं है। स्थिर आस्तियों का रिजस्टर आई.एल.एच. प्रस्थ संख्या 6 में रखा जाएगा।

33. भंडार लेखा की लेखा परीक्षा

प्रकाश स्तम्भ और प्रकाशपोत महानिदेशालय के विभिन्न उप-कार्यालयों के भंडार लेखा को लेखा परीक्षा, प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक, केन्द्रीय मुम्बई / कलकत्ता/तथा संबंधित राज्य महा-लेखाकार द्वारा की जाएगी। वाणिज्यिक लेखाओं, जिनमें प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत विभाग के नई दिल्ली मुख्यालय नें समेकित भंडार लेखाभी सम्मिलत है की लेखा परीक्षा प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक ग्राधिक भौर सेवा मंत्रालयों, नई दिल्ली द्वारा की जाएगी। महानिदेशक इसके प्रकार लेखा के परीक्षित लेखाओं के आधार या प्रकाश स्तम्भ जिलों के लिए संपेकित प्रोकार्मा लेखा तैयार करेगा। प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक, आर्थिक और सेवा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा समंकित प्रोकार्मा लेखा परीक्षा के यथाशोद्र उस पर लेखा परीक्षा टिप्पण के साथ आय तथा क्या लेखा और तुलनापत्र की सत्यापित प्रतियां जल भूतल परिवहन मंत्रालय तथा महानिदेशक प्रकाश भौर दीपपोत को भेजी जाएगी। लेखा परीक्षित लेखा केन्द्रीय प्रकाश स्तम्भ सलाहकार समिति की तत्यश्चात् होने वाली बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

34. भंडारों का वर्गीकरण

भंडारों की दो प्रवर्गी में विभाजित किया जाएगा, प्रथात् :---

(1) राजस्व भंडार श्रीर (2) पूर्जी भंडार । राजस्व से प्रभाव भंडार राजस्व भंडार माने जाऐगें श्रीर ऐसे भंडार जो पूंजी से प्रभाव है पूंजी भंडार माने जाएगें।

35. भंडार लेखा

भंडार की प्राप्ति श्रौर निर्गम का उचित लेखा जिसे साधारण खाते से बाहर रखा जाएगा।

36. भंडार वस्तुम्भों के ऋय की प्रक्रिया:---

जहां तक संभव हो भंडार सामग्री का कय निदेशक द्वारा निविदा मंगा कर किया जाएगा और ठेका लेने बाले सफल ठेकेदार से की गई संविदाश्रों में परिदान की शर्ते स्तष्ट रुप से दी जाने चाहिए। भंडार सामग्री के 998 GI 95-11 क्य के लिए साधारण वित्तीय नियम में बोल्विट बाबरण नियम ग्रीर महानिदेशक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया बावरण करने से पहले निदेशक इस बात को नुनिक्ट बरेग के नाजा ग्रीर गुणवत्ता के सामान्य सत्यापन प्रमाण-पन्न तथा प्रभारित की जाने वाली दरे स्वीकार के बावर के बन्हम है ग्रीर इसकी प्रतिष्टि संदाय के पूर्व अपेक्षित भंडार रजिस्टरों में भ्रभिलिखित की जानक है।

37. प्रकाश स्तम्भों को भंडार बस्तुकों के प्रदास की प्रक्रिया:--

प्रकाण स्तम्भों की भंडार का प्रदाव किया के द्वारा हस्ताक्षरित मांग पर्ची की प्राप्ति पर ही किया जाएगा। मांग पर्ची तीन बन्दा किया करने । प्रत्येक पर लाल ग्रअरों में 'मूल प्रति,'' 'द्वितीय प्रति'' श्रीर तृतीय प्रति ग्रंकित किया जाएगा कि कि समयक प्राप्ति के पश्चात् मूल प्रति भंडार मूल्य रिजस्टर रखने के लिए उत्तरदायी कि किया को इस पर मूल्यांकित कर रिजस्टर में प्रविष्टि करेगा। दूसरी प्रति जो 'द्वितीय प्रति'' के व्यव किया कार्यों करने वाले प्राधिकारी के पास रहेगी ग्रांर तीसरी प्रतिभंडार की मांग करने वाले के पास कार्यों प्रतिभंडार की मांग करने वाले के पास कार्यों प्राप्ति होने पर ही किया जाएगा।

38. मूल्य भंडार खाते का रख-रखार --

उपभीश्य भंडार और पंजीगत बन्दा के लए प्रत्येक जिले में पृथक मूल्य भंडार खाता खोला जाएगा जिसमें एक दी वह बन्दा के लए मंडार उपयोग, किया गया भंडार और अतिशेष भंडार दर्शाया गया होगा। क्रय किए वह बन्दा स्तम्भ, मंडार में प्रयुक्त हो रहे माल की आई.एल. एच. प्ररुप सं. 15 के अनुसार बन्दा कि किया होगी। लिपिक अग्रनीत अतिशेषों की जांच करेगा श्रीर मानक उपभोग मानों के सार्व बन्दा की तुलना करेगा तथा प्रत्येक स्थान पर मीजूद स्टाक का पुनरीक्षण यह अभिनिश्चित करने के लिसी अधिकारी हैं। विदेशक कार्यालय के किसी अधिकारी हैं। विदेशक कार्यालय हैं। विदेशक कार्यालय के किसी अधिकारी हैं। विदेशक के किसी अधिकारी हैं। विदेशक कार्यालय के किसी अधिकारी हैं। विदेशक कार्यालय के किसी अधिकारी हैं। विदेशक कार्यालय के किसी अधिकारी हैं। विदेशक के किसी अधिकारी हैं। विदेशक कार्यालय के किसी अधिकारी हैं। विदेशक के किसी अधिकारी हैं। विदेशक कार्यालय के किसी अधिकारी हैं। विदेशक कार्यालय के किसी अधिकारी हैं। विदेशक की क्या है। विदेशक की लिए करनी चाहिए कि बार के किसी के लिए करनी चाहिए कि बार करने हैं।

39. भंडार वस्तुधों का निरोक्षण :--

भंडार के ऋय पर व्यय संबंधित के बार्च के बार्च के बार्च आप प्रत्येक प्रकाश स्तम्भ में जब कभी प्रधान प्रकाश स्तम्भ पाल या प्रकाश केन्द्र का बार्च का स्तम्भ पाल के पास समय हो, भंडार अतिशेष की ग्रस्तित्व जांच की जायेगी ग्रीर का बार्च का उत्तरदायी ग्रधिकारी द्वारा उसके ग्राने पर निरीक्षण किया जाएगा। किसी ग्रधिशेष या कमी को निर्वेष को बार्च के लिए रिपोर्ट किया जाएगा।

हरेक वर्ष मार्च के प्रन्त ने निर्देशकों द्वार का किए गए भंडारों की, जिसमें प्रकाश स्तस्भ केन्द्रों की प्रेषित न किए गए भंडार भी सम्मिन्द है बार्च को जाएगी और प्रमाण-पत्न महानिदेशक को प्रप्रेषित किया जाएगा।

- 40. प्रकाश स्तम्भ और प्रकारकोत विकास के दुवीलत संकमों के लेखा रखने की प्रक्रिया:-
- (1) प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश के किया के क्यों पूंजीगत संकर्म विभागीय श्रधिकरणी द्वारा महानिदेशक के नियंत्रण में किए जाएं ने
- (2) महानिदेशक, विभाग का दह जान का निवित्तरण अधिकारी है, जिसके द्वारा विभागीय तौर पर किए गए पूंजी गत संकर्मों ने नविद्या की दिया अधिकार के संदाय के संवित्रण की शक्ति अपने से अधीनस्थ ऐसे अधिकारियों को, जो उपनिदेशक की निवास के नविद्या के स्वास के संवित्रण की शक्ति अपने से अधीनस्थ ऐसे अधिकारियों को, जो उपनिदेशक की नविद्या के नविद्या की तरह इन नियमों में निव्नतिश्चित रूप में रखा जाएगा।
- (3) महानिदेशक, प्रकाश स्तम्भ घीर प्रकाश योत प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा समय-समय परनिर्धारित सीमा तक मूल प्राक्तन की नंजूरी प्रदान करने के लिए सझम है। विदित सीमा से अधिक संकर्मों की बावत प्राक्तवनों की मंजूरी जल मृतल परिवहन मंत्रालय से लेनी प्रावश्यक होगी। मंज्यास्थिति महानिदेशक प्रकाश

बार प्रकार पोत या जल भूतल परिवहन मंत्रालय की मंजूरी के लिए छोटे संकर्मों के जिसकी कुल लागत. 5,000 क्ये से प्रधिक होने की संभावना है के सिवाए, प्रत्येक संकर्म के लिए पृथक विस्तृत प्राक्कलन तैयार करना प्रपेक्षित है। जाक्कलन से प्रधिक की मंजूरी सक्षम प्राधिकारी अर्थात् यथास्थिति महानिदेशक तथा जल भूतल परिवहन मंत्रालय से देनी अपेक्षित है। सभी प्रकार की मंजूरी की जाना बेतन तथा लेखा अधिकारी की प्रक्षम करना मंजूरी प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

टिप्पण :---

5,000 रुपये या इससे कम लागत वाले संकर्मों के लिए एक कच्चा प्राक्कलन तैयार किया जाएगा ग्रीर मंजूरी प्राधिकारी द्वारा वेतन तथा लेखा ग्रधिकारी को संसूचित किया जाएगा। तथापि ऐसे ग्रीजारों ग्रीर संयंत्रों के कय के लिए जिसकी लागत 1,000 रुपये से ग्रधिक नहीं है, किसी प्राक्कलन की ग्रावश्यकता नहीं होगी।

- (4) पूंजीगत संकर्मी के लिए रोकड़ संध्यवहारी का लेखा ऐसे सभी निदेशकों द्वारा जिन्हें पूंजीगत संकर्मी के निष्णादन का कार्य सौपा गया है, पृथक रूप से म्राई. एल. एच. प्रष्प संख्या 16 प्रष्प 1 में रखा जाएगा। इसे लिखने के लिए विहित विस्तृत मृतुदेशों केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों को यथा लागू वित्तीय नियम 1963 में म्रन्तिंवष्ट हैं। जिला निदेशकों द्वारा नकद संवितरण के लिए ग्रिप्रमों को म्राहरण संदाय भ्राकित्मक विल प्रक्षों में किया जाएगा भीर एक रजिस्टर जिसमें म्राहरण किए गए म्रिप्रमों के विस्तृत व्यीरों जिस संकर्मों के लिए ग्राहरण किया गया है उसकी विशिष्टियां, वह तारीखों जिनको म्रिप्रम का समायोजन किया गया था दर्शाया जाएगा, निदेशकों द्वारा रखा जाएगा।
- 41.(1) अग्रवाय:—ग्रपने अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों को संकर्म के निष्पादन के लिए जिलों के निदेशकों द्वारा दिए गए अस्थायी अग्रिम का विवरण आई, एल. एच. प्ररूप सं. 17 अग्रदाय रोकड़ लेखा में मुद्रित अनुदेशों के अनुसार दो प्रतियों में रखा जाएगा। अधपका, अग्रदाय धारण करने वाले के पास रहेगा और संबंधित अग्रिमों के नियमित समायोजन के लिए मूल प्रति आवश्यक वाउचरों सहित निदेशकों को प्रस्तुत की जाएगी। जिला निदेशक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीनस्थ को दिए गए अस्थायी अग्रिमों का समायोजन उनके संदाय के देय मास के भीतर हो जाए जिसके न होने पर वह ऐसे अग्रिमों का समायोजन की स्थित का स्पष्टीकरण प्रकाश स्तम्भ तथा प्रकाश पोत महानिदेशक को देगा।
- (2) अग्रदाय धारक, अग्रदाय को सुरक्षित ग्रिभिरक्षा में रखने का उत्तरदायी होगा । उसे वाउचरों में या नकद या दोनों में अग्रदाय का कुल योग प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस संकर्म के लिए विनिर्दिष्टतः अग्रिम दिया गया या उसके पूरा किए जाने के 15 दिनों के भीतर या वर्ष के अन्त में यदि किसी अधिकारी के कब्जे में अग्रिम की कोई अध्यक्ति अतिशेष रकम है तो वह अग्रदाय लेखा बंद करने के लिए निदेशक को वापस किया जाएगा ।
- (3) जब किसी अधिकारी को बदल दिया जाता है तो उसके स्थानांतरण की तारीख को अग्रदाय लेखा का अतिशेष तय किया जाएगा और कार्यमुक्त होने वाले तथा कार्यमुक्त करने वाले दोनों अधिकारियों के हस्ताक्षर से एक टिप्पण अभिलिखित किया जाएगा जिसमें कमशः उनके द्वारा दिए गए और प्राप्त किए गए अग्रदाय अतिशेष दर्शाया जाएगा । इस टिप्पण की एक प्रति उसी तारीख को महानिदेशक को अग्रेषित करनी चाहिए।
- 42(1) माप पुस्तक:—दैनिक मजदूरों से भिन्न किए गए सभी कार्यों भौर सभी प्रदायों के लिए संदाय माप पुस्तकों में प्रभिलिखित मापों के प्राधार पर किया जाना चाहिए विभाग की सभी माप पुस्तकों पर जमानुसार संस्थांक लिखा जाएगा और उनको प्राई.एल.एच. प्ररूप संख्या 18 में महानिदेशक के कार्यालय में उनका रिजस्टर रखा जाएगा। जब कभी माप पुस्तक जिला को जारी की जाए तथा उस कार्यालय की विशिष्टियां जिसे पुस्तक जारी की गई है, प्रत्येक पुस्तक की क्रम संख्या, जारी करने की तारीख और वापिस करने की तारीख दर्शाते हुए रिजस्टर में प्रविष्टि की जानी चाहिए।
- (2) पुस्तकों में कार्य या भंडार के कम का विस्तृत माप केवल उन्हीं ग्रधिकारियों द्वारा अभिलिखित किया जाना चाहिए जिन्हें विशिष्ट रूप से कार्य का निष्पादन या भार का कय कार्य साँपा गया है।
- (3) भंडार, भौजार, संयत तथा सामग्री आदि का क्रय करने वाले या उसे प्राप्त करने वाले अधिकारी माल का परिवाय लेते समय ऐसी वस्तुओं का अभिलेख माप पुस्तक में रखेगा। इसी प्रकार सन्निर्माण कार्य का वावत यह पुस्तक किए गए कार्य की माता या प्राप्त प्रदायों के आरम्भिक अभिलेख प्रयोजन पूरा करेगी। लेखा या माप का या विस्तृत अभिलेख ऐसे सभी विलों के सत्यापन का माधार बनेगा जिसे जिलों के निदेशक या संदाय करने के लिए प्राधिकृत किए गए अधिकारियों द्वारा संदाय के लिए पारित किया

गया है। ऐसे सभी बिलों पर जय की गई बलुखों की व प्रदाय प्राप्त करने वाले अधिकारी का निम्नलिखित पृथ्यकता		ों की बाबत अन्य प्र	माग-पत्नों के ग्रतिरिक्त
			मूल्य भंडार लेजर सं. ———पर सम्भकतः
धभिलेखबढ किए । धाय पुस्तक संख्या————————————————————————————————————	কা		———भी

हस्ताक्षर

(4) बिलों को पास करने वाले प्रक्रिकारों को सम इस्तर्कों में प्रविध्दियों का सत्पापन करना चाहिए तथा जांच कर ली गई हैं इसके प्रतीक के रूप में परना इस्तर्कात करने बाहिए। माप पुस्तक में लिखी गई सभी मात्रा ऐसे दस्ता-वैजों में जिन पर संदाय किया गया है स्वय् विस्तर चाहिए। बा किए गए कार्य या किए गए प्रदायों के लिए बिल तैयार किया जाता होतों ऐसे बलेक पूर्ण कर किसने किस्तृ व्योश दिया गया है उसे लाल स्थाही से तिरष्ठा काट दिया जाना चाहिए और जब संदाय किया कर को संदाय बाउचर की संख्या तथा तारीज का निदेश करते हुए माप के सारांग पर लाल स्थाही से पृथ्वांकन किया बला चाहिए। कार्य के लिए की गई प्रविद्यियों की बाबत माप पुस्तक की प्रविद्य करने बाले अधिकारी सेविश्व करिकारों को प्रकर्ण के प्रविद्य किए। मार्ग कार्य के 10 प्रतिगत तक मार्गों की जांच करनी चाहिए।

43. आकास्प्रक व्यव रविस्टर:-

प्रत्येक जिता में धाकत्विक व्यव विकास का जाएगा। रिजिस्टर के स्तम्भों का उपयोग एकत कार्य पर हुए व्यय को अभि-लिखित करने में किया जाएगा। कहा किए यह प्राक्तिलनों की रकम सबसे ऊपर लाल स्याही से दिशत की की जाएगी इस रिजिस्टर की सम्बन्धित किले के निरंगक द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ग्रावधिक रूप से जांच की जानी चाहिए तथा माद्यासर किए जाने चाहिए।

44. (1) भीबार तथा संयंत्र रविस्टर :---

प्रकाश स्तम्य वा अन्य कार्यों के उसकेत के तिए निदेशक या उस द्वारा प्राधिकत किसी सन्य स्रधिकारी के प्राधिकार के स्रधीत संबंधित जिला निदेशक नीचे दिए यह उसने के अनुतार सीजार सीर संयंत्र रिजस्टर रखा जाएगा। निदेशक या उस के द्वारा प्राधिकत स्रधिकारी इस बात को देवने के लिए उत्तरदायों होना कि ऐसी सभी सामग्री जिसकी अब अपेक्षा नहीं है, जब तक कि वह अन्य या समुचित प्राधिकारी दाया, निरुद्धन दो वह है कार्यालय को लीटा दो जाए।

क्य की तारीख	वाउचर संख्या	रकम	विभिष्टियां	प्राप्त मात्रा	प्राप्त की जाने वाली मास्रा	प्राप्त	हस्ताक्षर	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- (2) वर्ष के दौरान कर किए यह बीजारों तथा संयंत्रों के संख्यांत्मक लेखा थाई. एत. एच. प्रस्य संख्या अमें रखा जाएगा।
- (3) श्रीजार और उच्चे प्रकाश स्तम्भ या भंडार प्रकाश स्तम्भ पर श्रस्थायी तौर श्रन्तरित किया जा सकेगें। ऐसे सभी साम-प्रियों का लेखा प्रधान प्रकाश च्छारी द्वारा रखा जाएगा। ऐसे भंडार का समुजित लेखा निर्देशक के कार्यालय में भी रखा जाएगा। जब कभी श्रधिकारी का परिवर्तन होता है, भार मुक्त श्रधिकारी श्रपने उत्तराधिकारी को श्रपने कार्या भार में के श्रीजार श्रीर संयंत्र सौंपने होंगे। श्रीर रिपोर्ट भारमोचन श्रीकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी चाहिए।
- 45. (क) अनुप्योगी वा अववृत्त श्रीजारों श्रीर संयंत्रों को निदेशक या किसी अन्य अधिकारी द्वारा यैयिन्तक रूप से निरीक्षण के पश्चात एंसी सामग्री को बट्टे खाते में डालने की अपनी वित्तीय शक्ति की सीमा के अध्यधीन रहते हुए बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा। इसकी आवश्यक प्रविध्या आई. एल. एच. प्ररूप संख्या 8 में और निदेशक के कार्यालय में रखें गए श्रीजार और संयंत्र रिजस्टर में की जाएगी।
- (ख) श्रीजारों श्रीर संबंहों का श्रस्तित्व, सत्यापन, निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त तैनात किए गए किसी धन्य उत्तर-दासी झिकारी द्वारा एक वर्ष के या ऐसी लम्बी अविध के श्रन्तराल पर जो वह आवश्यक समझे, किया जाएगा। निरीक्षण करने वाना अधिकारी किसी अधिनेष या कमी के बारे में आदेश के लिए निदेशक को रिपोर्ट करेगा।

46. संविदा :-

कार्यों के निष्पादन के लिए संविदा की निविदाएं सामान्यतः महानिदेशक हारा स्वीकारकी जाएंगी। विशेष दशा में यह सम्बद्ध जिला निदेशक या उससे ज्येष्ठ किसी बन्य बिधकारी की निविदाएं स्वीकार करने के लिए प्राधिभत कर सकेगा। संविदा की अनु-प्रमाणित प्रतिलिपियों वेतन तथा लेखा बिधकारी को बग्नेक्षित की जाएगी।

47. संविदाकार का खाता :---

संविदाकार से संबंधित लेखा संविद्धाकार खाता के ऐसे पृथक कोलियों में रखा जाएगा जो ऐसे सभी संविदाकारों के लिए विनके लिए वैयक्तिक खाता रखा जाता है आरक्षित रखा गंदा है। प्रत्येक संविदाकार के लिए चाहे उसके साथ कोई श्रीपचारिक संविदा हुई हो या नहीं, खाते में एक पृथक वैयक्तिक लेखा खोंला जाएगा।

- 48. विभाग की लेखा परीक्षा के लिए प्राधिक और सेवा मंत्रालयों के लेखा परीक्षा निदेशक और महालेखाकार (लेखा परीक्षा) नेखा परीक्षा निदेशक उत्तरपायी होंगें। लेखा परीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मर्दे सम्मिलित होंगें। ——
 - (1) स्वीकृति के प्रधीन किसी व्यय की विस्तृत लेखा परीक्षा।
 - (2) निदेशक के कार्यालय में रखें गए संकर्मों के लेखे।
 - (3) नियम 35 से 39 में निर्देष्ट किए गए भंडार लेखा की लेखा परीक्षा।
 - (4) महानिदेशक के कार्यालय में रखे गए रजिस्टर के प्रतिनिदेश से अवक्षयण के वार्षिक आंकड़ें।
 - (5) संबंधित जिले में विस्तीय ग्रिभिलेख के प्रतिनिर्देश से राजस्व प्राप्ति की लेखा परीक्षा।

[संख्या एलएच. - 11012/1/87-एसएल] वी. एम. कोहान, उप-सचिव

, यनृसूची--1 [नियम--3 खंड (च) देखिए]

(क) सामान्य प्रकाशस्तंभ की सूची

जिला 1. जामनगर

- 1. অম্বাক
- 2. ভাছী
- 3. मांडवी
- 4. मांडबी ब्रैंक वाटर हैंड
- 5. रावल पीर मकबरा
- 6. नवीनाल प्वाइंट
- 7. मंडरा नया पत्तन
- 8. जोविया बंदर
- 9. नवलखी बेत
- 10. रोजी-कल्याण
- 11. रोजी जेटी हेड
- 12. बेदी बंदर
- 13. पीरोधन बीकन
- 14. पीरोधन द्वीप
- 15. कालभर टाप्
- 16. चंक टापू
- 17. व् रालरीफ
- 18. हुमानी प्याइंट
- 19. सामियानी द्वीप केन्द्र
- 20. शायियाकी उत्तर द्वीप
- 21. द्वारका प्वाइट
- 22. काछीगढ़
- 23. नवादरा
- 24. पोरबंदर
- 25. नाबीबंदर
- 26. मंगरोल

	ZETTE OF INI	DIA MAY 13,	1995/VAISAKHA 23, 1917	[PART II—SEC. 3(1)
1	2		3	
जिला:—			27. वैरावल	
1. जामनगप (जारी)			28. भीर भंजन वीकन	
			29. दीव हैंड	
			30. नावाबंदर	
			31. सिम्मार	
			32 सैयद राजपुरा भंडार	
			33. जाफराबाद	
			उक. जाफराबाद सहायक प्रका	रा
			34 सवाई बेत	
			35. जेगरी दीप	
			36 सांझमेर	
			37. गोपनाय प्वाइंट	
			38. मतंत्र	
			39. पीरमदीप	
			40. गोधा बंदर	
			41. इवापरी	
		-	42 बोनस्टेन प्वाइंट	
			43. भावनगर प्वाइंट	
			४४ मावनगर उत्तर प्वाइट	
			43. भावनगर पुराना पसन	
2. मुम्बई:			 सहार प्वाइंट 	
2. 3.44.			 सुवानी प्वाइंट ह्वित 	
			3. वासी बोर्सी	
			 कनई कीक (मण्डीवाड़ा) 	
			 बन्साद बारी 	
			६. उसलाव	
			्र वारापुर व्याइंट वारापुर सह	מאמ מבינו
			 क्यांचा 	45 4544
			9. वतन	
			16- वाल कडू रीकस्	
			11. कोरलई फ्रोर्ट	
			12 ननवेल प्वाइंट ननवेल सहाय	क प्रकाश
			13. टोल्केश्वर प्वाइंट	
			14 जयगढ़ हैड	
			15 रत्नागिरी रत्नागिरी सहायक	प्रकश
			16. वागापुर प्वाइंट	
			17. दैवगढ़ बंदरगाह (पत्तन के	उत्तर पश्चिम)
			18. वेंगरला रोवस	
			19. वैगरला प्याइंट	
	-		20. यगुमाडा	
	2.2 26.2		21. सेंट जार्ज	
			22. ओएस्टर पत्तन रॉक्स	
			23 भटकल/के उत्तर	
			23क. भटकल सहायक प्लाइट	
40			24. केप	
**			25. सूरतकल प्याइंट	

(2)

(3)

[धार II—वंद 3(i)]
(1)
विसा
3. कोचीन

1. कासरगढ़

2. क्रोट्टे कुन्नू-माक्ट-डिल्ली

3. केन्ननोड

4. काडालूर प्वाइंट

5. बेपुर

6. पोन्नानी

7. चेतवाई

8. यजीकोड

9. कोचीन (घाइपिन)

10. मानक्कोडम

11. एल्लेपी

12. सचेविल थोट्टस

13. तंगशारी प्वाइंट

14. अजेंगो

15. किलिजम

16. चेतलेट द्वीप

17. बिला द्वीप

18. किल्टन द्वीप

19. किकटन द्वीपा दक्षिणी छोर

20. कदमद द्वीप

21. अमीनी द्वीप

22. ग्रगात्ती

23. एड्रोथ द्वीप पूर्वी छोर

24. एंड्राथ द्वीप पश्चिमी छोर

25. कावारयी द्वीप

26. बलियाकारा

27. सुहेली पर

28. कलपेनी

29. मिनिकाय द्वीप

(1)

(2)

(3)

जिला

4. मद्रास

1. मुंत्रम व्वाइट

2. कन्या कुमारी

3. मानाप्पाइ प्वाइंट

4. पांडियन टिब्

5. किलाक्करी

6. व्वाइट कालिमेयर

7. नागापट्टनम

3. पोटो मोवों

9. महाबसीपुर

जिला

5. कलकत्ता

अनुज्ञेय चयन पद

- 10. मद्रास
- 11. पुलिकट
- 12. पांडिचेरी
- 13. ग्रामीगाव
- 14. कृष्णापट्टनम
- 15. रामायपट्टनम
- 16. नागयाल्लंका
- 17. मछलीपट्टनम
- 1. नरसापुर अंतरवेवी
- 2. संकरामेंटो
- 3. पेंटाकोटा
- 4. पुडिगाडाका
- 5. डोलफिन्स नोज
- 6. सेंतपिल्ली
- 7. कलिंगापट्टनम
- गोपालपुर
- 9. पूरी
- 10. चन्द्रभागा
- 11. पारादीप
- 12. फॉल्स प्वाइंट
- 13. दरियापुर

1. पूर्वी दीप

- 2. नारकान्डम दीप
- 3. पोर्ट कोर्नवालिस बोपंग
- 4. उत्तरी बटन दीप
- 5. मध्य बटन दीप
- 6. दक्षिणी बटन दीप
- 7. स्ट्रैंट दीप
- 8. बैरन दीप
- 9. अंडमान निकोवार
- 10. सर ह्यूज रोज दीप
- 11. पोर्ट ब्लेयर नार्थ प्वाइंट
- 12. रख्लैंड दीप
- 13. उत्तरी सीक दीप
- 14. लिट्टल अंडमान
- 15. कीटिंग प्वाइंट
- 16. बट्टी माल्व
- 17. कच्चल पश्चिमी बे
- 18. कच्चल पूर्व ये
- 19. पुली मिलो
- 20. इंदिरा प्वाइंट
- 21. चौरा
- 22. बोमपोका
- 23. केम्पवैल-बे फंट
- 24. केम्पबेल वे रियर

जिला

अंडमान और निकोबार

टिप्पण:--

प्रकाश स्तम्भों की संख्याएं बंद किए जाने या नए प्रकाशस्तम्भों की स्थापना के कारण परिवर्तन हो सकता है।
(ब) वे स्थानीय प्रकाश स्तम्भ जो भारत सरकार से श्रनुदान प्राप्त करेंगे।

बिला	स्थानीय प्रकाशस्तमभ	भ्रनुदान की राशि
मुस्बई	केन्नरी प्रकाशस्तम्भ `	श्रनुरक्षण लागत का 25 प्रतिशत

ध्रनुसूची-2 [नियम 3 खंड (च) उपखंड (1) और उपखंड (2) देखिए)]

जलयान पोत/चलत जलय	पान वर्णन	प्रकाशशोध्य की दर
(क) विदेश गामी जलयान		8 रुपये प्रति टन
(ख) देशी व्यापार जलयान		6 रुपये प्रति टन
(ग) चलत जलयान		0.50 पैसें प्रति टन

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार रजिस्ट्रीकृत टन भार की दरों में परिवर्तन किया जा सकता है।

ग्रतुसूची-3 [नियम 4 खंड (ii) देखिए]

खंड	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष
ब-गैर कर-राजस्व ग्रार्थिक सेवाएं ग. श्रार्थिक सेवाएं	1051 पत्तन प्रकाशस्तम्भ और पोत परिवहन ख. प्रकाश स्तम्भ और प्रकाशपोत 3051-पत्तन, प्रकाशस्तम्भ और पोतपरिवहन प्रकाशस्तम्भ और प्रतपरिवहन प्रकाशस्तम्भ और प्रकाश पोत	प्रकाश-शोध्य भ्रन्य प्राप्तियां कटौती प्रति दाय निदेशक और प्रशासन प्रकाशस्तम्भ कार्यकरण व्यय प्रबंध / प्रचालन तथा अनुरक्षण पेंभन भ्रवक्षयण भ्रारक्षित निधि केंद्रीय ग्रारक्षित निधि पूंजीगत परिच्यय पर व्याज प्रकाशपोत कार्यकरण व्यय प्रवन्ध ।
म. ग्रार्थिक सेवाओं का पूंची लेखा	5051 पत्तनों पर पूंजीगत परिव्यय, प्रकाश 'स्तम्भ और पोत परिवहन ख. प्रकाश स्तम्भ और प्रकाश पोत	प्रकाशस्तम्भों का निर्माण और विकास श्रन्य नौचालन साधनों का निर्माण और विकास श्रन्य खर्चे औजार और संयंत्र भवन कटौती रकम प्रकाण स्तम्भ और प्रकाण पोत की साधारण धारिभत निधि से वित्त ेति कटौती रकम प्रकाण स्तम्भ और प्रकाणपोत की ग्रवक्षयण भारिभत निधि से वित्त पोषित ।

टिप्पण : लेखा इस प्रकार रखा जाना चाहिए कि नवीकरणों और प्रतिस्थापनों पर किया जाने वाला व्यय, जहां तक उसकी ग्रवक्षयण ग्रारक्षित निधि या राजस्व से पूर्ति की जाती है, सरकारी खातों में पूंजीव्यय के व्यौरेवार लेखे से निकाल दिया जाए।

ग्रारक्षित निधि
 ग्रारक्षित निधि ब्याज सहित

815-म्रवक्षयण नवीकरण/म्रारक्षित निधि 821-साधारण और भ्रन्य म्रारक्षित निधि ग्रवक्षयण ग्रारक्षित निधि प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपीत साधारण ग्रारक्षित निधि प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपीत विभाग । बन्सूची-4

[नियम 15, उपनियम (3) देखिए]

म्रास्तियों का वर्ग		सामान्य श्रायु वर्षों में	
1. प्रकाशस्तम्भ मिनार चिनाई	•	100	
2. प्रकाशस्तम्भ मिनार इलवां लोहा		75	
 प्रकाशस्तम्भ मिनार ग्रार.सी.सी. 		75	
4. जिनाई ढलवां लोहे तथा प्रवलित केंक्सेट व सभी भवन	वाने प्रकामस्तम्भ मिनारों	सं भिन्त	
5. बुर्णायमान प्रकाशीय साधित		50	
(क) परम्परागत		50	
(ख) जड़ा हुग्रा बीम			
6. प्रकाशस्तम्भ लालटेन (जड़ा हुआ)		25	
7. रेडियो बीकन		50	
 एरियल मास्ट्रस (माइल्ड स्टीन 		15	
9. आकाशी मस्तूल (मुद्ग्स्पात)		20	
0. ट्रेस्टल्स (कलईदार लोहा काष्ट्र)		20	
1. लोरन उपस्कर		20	
2. स्टेशन मशीनरी	1 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	15	
3. स्टेशन संयंव	A Page	20	
1. इलैक्ट्रोनिक/विद्युत उपकरण		20	
. झंडा स्टाफ		.10	
. तुफान संकेत		20	
. बोया		20	
. प्रकाश जलयान पेटा		15	
प्रकाशस्तम्भ टेंडर पेटा		20	
प्रकाशस्तमभ टेंडर इंजन		20	
		20	
जट्टी इस्पात/काष्ठ तथा पाइन चंरचता पानी की टंकी ग्रारसी.सी.		40	
	Y.	75	
पानी की टंकी मृदु इस्पात चार दीवारी		20	
	A. C.	50	
सड़कें और मार्ग		20	
प्रक्रीण जैसे जल प्रदाय लाइन		15	
स्ट्रीट प्रकाण खम्मे	•	10	
पोतों के मार्ग दर्शन के लिए बीकन और ग्रन्य	चिन्ह :	20	

अनुसूची- 5

[नियम 8 (4) देखिए]

माई. एल. एच. प्ररूप संख्या 9 से 11 से संबंधित नियम-शोध्यों की नसूली और प्रतिदाय में उपभोग के लिए प्ररूपों की मांग (ग्राई एल एच प्ररूप संख्यां 9 से 11, सभी मामलों में, प्ररूप संख्यां 12 में प्रकाशस्तमण और प्रकाशपीत के महाविदेशक को भेजे जाने चाहिएं।

=

बहिनों को किसी जिम्मेदार ग्राधिकारी की वैयक्तिक ग्रामिरक्षा में तालाबंद रखा जाना चाहिए, जो जब उसे भार मुक्त किया बार तो भार मोचन ग्राधिकारी को सौंपे गए प्ररूपों का ही संख्यांक की रसीद ले ले। जब ग्रावेदन के प्रकाशस्तम्भ और अकासपोत महानिदेशक को प्ररूपों को नए प्रदाय के लिए किए जाए तो ग्रावेदन के समय हस्तगत प्ररूपों का संख्यांक देना चाहिए।

बहियां मुद्रित संख्यांकों के अनुसार कम से जारी की जानी चाहिए, निम्नसंख्यक पहले जारी किया जाना चाहिए और सीमा-बुक्क अधिकारो द्वारा उस सनय में 100 प्रक्षों वाली एक बही से अधिक का उपयोग नहीं करना चाहिए।

इन प्ररूपों के परिरक्षिण में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और रद्द या वित्तीय किन्हीं प्ररूपों को, तत्संबंधी प्रतिपर्ण के चाय प्रकाशस्त्रम्म और प्रकाशपोत महानिदेशक को परेक्षित करने के लिए लेखाओं से संलग्न किया जाना चाहिए।

खो गए या नष्ट हो गए किन्हीं प्ररूपों के संख्यांकों को लेखाओं में स्पष्टीकरण सहित देना चाहिए। हस्तगत प्रप्रशुवत प्रवेश णोध्य रसीद के संख्यांकों सीमाशुलक अधिकारी द्वारा प्रकृशणस्तम्भ और प्रकाशयोत के महानिदेशक को दिए गए मासिक लेखाओं में समर्थित किया जाना चाहिए।

जब प्रकाश शोध्यों का प्रतिसंदाय कर दिया जाता है तो प्रतिसंक्षय के लिए प्राप्त वाउचर वो प्रतियों में होना चाहिए, मूल रसीद रखनी चाहिए तथा प्रकाश स्तम्भ और प्रकाशपीत के महानिदेशक को प्रेषित किए गए तत्संबंधी प्रतिसंदाय वाउचर (दूसरी प्रति) लेखाओं के साथ संलग्न कर देना चाहिए ।

किन्तु जब प्रकाश शोध्यों का केवल एक भाग प्रतिसदत्त किया जाता हैं, तो सीमाशुल्क अधिकारी स्टीमर अभिवतों की मूल रसीद उस पर प्रतिसंदत्त रकम का पृष्ठांकन करने के पश्चात लौटा सकेगा। तथापि प्रकाश स्तम्भ और प्रकाशपीत के महानिदेशक को भेजे गए द्विप्रतिक प्रतिसदाय बाउचर में प्रतिसदत्त रकम और उस मूल रसीद को, जिससे यह संबंधित है विशिष्टियां के संबंध में एक प्रमाण-पत्न होना चाहिए।

बाई.एल.एच. प्रहप सहयां-1 (प्रकाशस्तम्भ लेखा और विल्लीय गनितयों नियम 1993 का नियम 15 (i) देखिए) वेतन और लेखा ग्रधिकारी प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत, नई दिल्ली प्रकाशस्तम्धं और प्रकाशपीत विभाग (जिला) की-------मास के लिए-----पाितयों का विवरण मख्य शीर्ष लघ् शीर्ष व्यौरंबार शीर्ष मास के दौरान प्राप्त भ्रानुक्षमिक योग टिप्पणियां वसुली वेतन और लेखा ग्रधिकारी प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत नई दिल्ली प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशगोत विभाग (----जिला) की -----मास के लिए व्यय का विवरण मुख्य शीर्ष . लघ शीर्ष व्यौरेवार शीर्ष ----मास के दौरान ग्रान्यमिक योग

डिप्पण : प्रतिदाय के प्रत्येक ग्रावेदन पत के साथ एक विवरण संलग्न किया जाना चाहिए जिसमें उन पत्तनों को दर्शित किया जाए जिनको थोड न खुश का और प्राथित संदाय को तारीख ले लेकर प्रतिदाय के दावे नी तारीख तक प्रकाशदेयों का संदाय कोव्य होने का उत्पोध दर्शित की लाए । एक जिनका सलग्न करना चाहिए ।

सूचना : यदि रकन 20 रूपये से अधिक की हो तो रसीवी टिफट लगाना अमेक्सित हैं।

लेखा और संपरीक्षा की लागत

ग्रन्य प्रभार नौका तथा टेंड्र का ग्रनुरक्षण ग्रधिसेष

134	HE GAZETTE OF IND	IA MAY 13,	1995/VAISA	AKHA 23, 1	PART II—SEC. 3(1
सूचना : यदि रकम 2	20 रुपये सें ब्रधिक की हो	वो सीदो टिकट	लगाना श्रपेक्ष	त है।	
"		.एत.एच. प्रहर			
/ TT - TT	लेखा और वित्तीय सक्तियं			6 देखिए)	
	नास, 19			to diad)	
	H(H, 19	4 (ाद् राजगानमा		
तारीख	विभिष्टियां	खाता	फोलियो	ऋण	लेनदार
1 100					
	बाई	.एन.एच. प्ररूप	संख्या-3		
(प्रकाशस्तम्भ	लेखा और वित्तीय गरितय	नियम, 199 3	का नियम 1	६ देखिए)	
			खाता -		tenti diliki agay, ninatti in masi agamban a agamban a magaya an di Ban wasa paninga ca kan adamb
			लेखा का	नाम	
ऋणी			लेनदार		
					and the same time and the same part and part and the same
	लेखा और वित्तीय शक्तियां		का नियम 16		30 देखिए) जिए ग्राय व्यय का लेखा।
व्यय जिला का नाम	कुल	म्राय 💮	जिला का	नाम	कुल
नेतन और मजदूरी			paramenta dan programma variation of the filter speci		lang pana walip paper menjalanin menjalanin penjalanin kanan mana menjalah menjalah menjalah menjalah menjalah
गता व्यय					
नार्यालय व्ययं					
कराया दर और कर					
त्तिक और विशेष					
नेवा के लिए संदाय					
तेवा के लिए संदाय. तेल और ग्रन्य					
तेवा के लिए संदाय तेल और ग्रन्य गकाण संबंधी सामान					
तेवा के लिए संदाय तेल और ग्रन्य गकाश संबंधी सामान प्रन्य भंडार					
तेवा के लिए संदाय तेल और ग्रन्य ग्राकाश संबंधी सामान प्रन्य भंडार तामग्री और प्रदाय					
तेना के लिए संदाय नेल और ग्रन्य ग्रनाण संबंधी सामान प्रन्य भंडार ग्रामग्री और प्रदाय ईधन और कोयला, पेंश					
वृत्तिक और विशेष सेवा के लिए संदाय तेल और ग्रन्य प्रकाश संबंधी सामान ग्रन्य भंडार सामग्री और प्रदाय ईधन और कोयला, पंश पूंजी परिव्यय पर व्याज	ग				

आई.एल.एच. प्ररूप संख्या-5

(प्रकाश स्तम्भ लेखा और वित्तीय गक्तियों नियम, 1993 का नियम 16 देखिए) 31 मार्च, 199 को प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत विभाग का तुलन-पत्त ।

ल आस्तियां स्थर आस्तियां गलू आस्तियां	जिला का नाम	योग
स्थर आस्तियां गलू आस्तियां		
गलू आस्तियां		
विध ऋणी	*	
ांडा र		
नकद निवेश		
अवक्षेयण		
सामान्य आरक्षित निधि	r	
कुल		
	सामान्य आरक्षित निधि कुल	सामान्य आरक्षित निधि कुल

आई.एल.एच.प्ररूप संख्यां-6

(प्रकाशस्तम्भ लेखा और वित्तीय गक्तियां नियम, 1993 का नियम देखिए)

स्थिर आस्तियों का रजिस्टर

- 1. मद संख्या
- 2. आस्तियों की विशिष्टियां
- 3. किससे ऋय की गई या किसके द्वारा सन्निर्मित है।
- 4. ऋय या सन्तिर्माण की तारीख
- 5. मूल लागत
- 6. नए लेखाओं के प्रारंभ होने की तारीख को मूल्य
- 7. प्राम्कलित भावी कार्यकरण काल
- 8. अवक्षयण की दर
- 9. आस्तियों का विक्रय या निपटान

को अतिरिक्त	योग	वर्ष में अवक्षयण	1 मार्च मूल्य	

आई.एल.एच. प्ररूप संद्या-7

(प्रकाश स्तम्भ लेखा और वित्तीय शक्तियां नियम, 1993 का नियम 11 देखिए)

अवक्षयण प्रभारों का तार

स्थिर आस्तियों का वर्णन

2 1 अप्रैल, 1995 की मूल्य

3. 31 मार्च, 19 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान परिवर्धन

4. स्तम्भ 2 और स्तम्भ 3 का जोड़

5 31 मार्च, 19 को समाप्त वर्ष में अवधानण

की मूल्य 6. 31 मार्च, 19

आई. एस. एच अरूप संख्या 8

ास्तु का नाम —				समान/अनुपदोज			
र्गाधकतम ———			स्टाक, भीजा	र और संयंत्र	ों की स्टाक	पुस्तिका	
यूनतम			वरिषाम सत्य	गपित किया		तेखाओं में	समायाजन
क्य की तारीख रकम गपूर्तिकर्ताओं के गम	विशिष्टियां	प्राप्त की गई माला	जारी की में कितन में डाना	। बहीं खाते			टिपणी
1 2	3	4	5		6	7	8
टेप्पण :- खपने वाले सामा (प्रकाश	न अनुपयाज्य स्टा स्तंभ लेखा और	र वित्तीय बन्धि	. स्वयंत्र का पा वियम, 199:	वस्टरपृष्णुप् 3 का नियम :	8 देखिए)	dant i	
		आई.एल.एच	. प्रस्त हं. 9				
बही संख्या रसीद सं	ड्या		. प्रस्त तं. 9		सीमा-व्	हुल्क सदन ता	रीख प्रतिपू
			. प्रस्त तं. 9		सीमा-व्	हुल्क सदन ता	रीख प्रतिपू
बही संख्या रसीद सं पोत का			. प्रस्त तं. 9		सीमा-व्	हुल्क सदन ता	रीख प्रतिपू
			. प्रस्त तं. 9		सीमा-व्	हुल्क सदन ता	रीख प्रतिपू
			. प्रस्त तं. 9		सीमा-व	हुल्क सदन ता	रीख प्रतिपू
		प्रकाश देव	. प्रस्त तं. 9		सीमा-व	हुल्क सदन ता	रीख प्रतिपू
		प्रकाश देव	. प्ररूप चं. 9		सीमा-व	को	रीख प्रतिपू
पोत का		प्रकाश देव	. प्ररूप चं. 9		सीमा-व्		रीख प्रतिपू
पोत का (क) अपनाया गया मार्ग		प्रकाश देव समुद्र	. प्रस्प चं. 9 भा		सीमा-व्		रीख प्रतिपू
पोत का (क) अपनाया गया मार्ग		प्रकाश देव समुद्र	. प्रस्प चं. 9 भा	ত্রীৰ বহ বাম		को उस पत्तन पर	उस पत्तन प
पोत का (क) अपनाया गया मार्ग		प्रकाश देय समुद्र क देय होने टन	. प्रस्प चं. 9 भा	ত্রীৰ বহ বাম	उस पत्तन का नाम जहां	को उस पत्तन पर शुल्क देय की	उस पत्तन प शुक्क संग्रह
पोत का (क) अपनाया गया मार्ग गस्टर का पहुंचने की गम तारीख और	नाम प्रस्थान की [*] शुल	प्रकाश देय समुद्र क देय होने टन	. प्रस्प चं. 9 भा	डिप्पणियां	उस पत्तन का नाम जहां पिछली बार	को उस पत्तन पर शुल्क देय की	उस पत्तन प शुद्क संग्रह करने की
पोत का (क) अपनाया गया मार्ग सस्टर का पहुंचने की हाम सारीख और पिछले पड़ाव	नाम प्रस्थान की शुल तारीख और क	प्रकाश देय समुद्र क देय होने टन	. प्रस्प चं. 9 भा	व्यापियां	उस पत्तन का नाम जहां पिछली बार शुल्क का	को उस पत्तन पर शुल्क देय की तारीख	उस पत्त न प शुल्क संग्रह
पोत का (क) अपनाया गया मार्ग सस्टरका पहुँचने की सम तारीख और पिछले पड़ाव	नाम प्रस्थान की शुल तारीख और कें उस पतम का नाम जहां जलयान जा	प्रकाश देय समुद्र क देय होने टन	. प्रस्प चं. 9 भा	व्यापियां	उस पत्तन का नाम जहां पिछली बार शुल्क का संदाय किया	को उस पत्तन पर शुल्क देय की तारीख	उस पत्तन प शुल्क संग्रह करने की
पोत का (क) अपनाया गया मार्ग सस्टर का पहुंचने की सम्म सारीख और पिछले पड़ाव पत्सन का	नाम प्रस्थान की शुल तारीख और क उस पतन का नाम जहां	प्रकाश देय समुद्र क देय होने टन	. प्रस्प चं. 9 भा	टिप्पणियां (ख)	उस पत्तन का नाम जहां पिछली बार शुल्क का संदाय किया गया था।	को उस पत्तन पर शुल्क देय की तारीख	उस पत्तन प शुल्क संग्रह करने की
पोत का (क) अपनाया गया मार्ग सस्टर का पहुँचने की सारीख और पिछले पड़ाव पत्तन का नाम	नाम प्रस्थान की शुल तारीख और कें उस पतम का नाम जहां जलयान जा	प्रकाश देय समुद्र क देय होने टन	प्रस्त वं. 9 भा यात्रा पर	खीब वट दोष टिप्पणियां (ख)	उस पत्तन का नाम जहां पिछली बार शुल्क का संदाय किया गया था ।	को उस पत्तन पर शुल्क देय की तारीख	उस पत्तन प शुद्क संग्रह करने की
पोत का (क) अपनाया गया मार्ग सस्टर का पहुंचने की सम सारीख और पिछले पड़ाव पत्सन का	प्रस्थान की शुल तारीख और कें उस पतन का नाम जहां जलयान जा रहा है।	प्रकाश देय समुद्र क देय होने टन	प्रस्त वं. 9 भा यात्रा पर	टिप्पणियां (ख)	उस पत्तन का नाम जहां पिछली बार शुल्क का संदाय किया गया था ।	को उस पत्तन पर शुल्क देय की तारीख	उस पत्तन प शुद्क संग्रह करने की

के लेखा के साथ अग्रेषित किया जाए और कोई रसीद के खराब होने पर वही इसी आई.एल.एच. प्ररूप 2 के साथ जिसमें वह जारी होने पर तर्ज किया जाता है, भेग दिया लाह ।

जब इनं प्रक्रमों की और पूर्ति अपेक्षित हो को महानिदेशक, प्रकाश स्तम्य और दीन स्तम्य को वार्येश्न पत भेने जाएं। पर किन्हीं भी परिस्थितियों में इनका स्थानीय मुद्रण नहीं कराना चाहिए।

(क) यहां	ं उस समुद्र मार्ग का पूरा	विवरण दें जिसके	िलए जलयान पर प्र	गर लगावा ग्रंग है।
(ख) य उल्लेख करिए।	दि लगाई गई दर अधिकत	म से कम है तो	यहां आई.एल.एच.	प्ररूप सं. 9 में कम दर लगाने के कारण क
बही सं.	प्राप्ति सं.	प्रकाश देय	भारतीय तटद्वीप	सीमाशुल्क तारीख सदन
पोत का नाम	किस राज्य का पत्तन है	जलयान पर		प्रस्थान की तारीख श्रीर उस पत्तन पर शुल्क
	भारतम ह		पिछले पड़ व पत्तन का नाम	जसपत्तनकानामजहां टन भार देय होने की जलयान जा रहा है तारीख
manghal than Lass was, Wife Collegists again feath make as as	(क) श्रपनाया गया मार्ग	ha kenarapan dian-kuati dan dian agai kilan dian dian dian dian dian dian dian di		
	2 - 0		- Marie Marie Marie Marie Marie dan ende pilopolity enn prograppe d	Distribution with this transport of the countries are given expected, and the public given and countries and the little from any rate was and
यह प्रभागत किय	ा जाता ह कि श्री———			णित पोत के मास्टर या श्रभिकर्ता ने भारतीय
देयों के रूप में ग्रदा			–रुपये	————(शब्दों में) की रकम प्रकाश
	1 11/41/61			
20-				Classical engl)
नाटिस :मास्टर	इस रसीद को सुरक्षित रखे	। ग्रन्य पत्तन पर	कलेक्टर को दिखानी प	इ सकती है।
(布)	यहां उस समुद्री मार्ग का पूण	विवरण दें जिस	के लिए जलयान परप्रभ	गर लगा है।
(ख)	यदि लगाई गई दर ग्रधिकत	म से कम हैतो	मम दर लगाने के कारण	का उल्लेख करें।
म्राई.एल.एच. प्र ————	रूप संख्या 10 प्रिकाश स्तम । पत्तन	भ लेखा ग्रौर वि	त्तीय शक्ति नियम, 1	993 का नियम 8 उपनियम (2) देखिए]
	भा	रतीय तटीय दीप	ां मदे प्रकाशदेयों का प्रति	तेदाय
पोत का नाम		नभार मास्टर		ान्ना जिसके लिए पत्तन का नाम जिस पर
	यदि विदेश है या		देयों का	संदाय किया गया संदाय किया गया है ग्रीर
	किस राज्य की है			संदाय की तारीख
	(यदि विदेशी हो)			
			and condenses public and control of the cross states when when court control the states of the state	districts and store and and and and and and and additional about the bad made and
	प्राधारों का उल्लेख करें।	जस पर प्रतिसंद		
19	. (मास)		की	तारीख दावेदार के हस्ताक्षर
ाइ बात सहा ह।	म यह भा प्रमाणत करता	हि कि प्रतिदाय व	ा यह शादेश रिजस्टीक	अनुसार प्रमाणित करता हूं कि इसमें कही ति किया जा चुका है श्रीर मेरे श्राद्यक्षरों के रकम के प्रतिदाय का पूर्व श्रादेश जारी नहीं
				कलेक्टर
गाज नारीख	ग्राम क्य			——रुपये की रकम कलेक्टर से प्राप्त की

ग्राज तारीख मास वर्ष को उपरोक्त दावाकृत प्रतिदाय की राशि प्रकाशदेय उपर्युक्त पक्तन प्र-प्राप्त की।

(आई.एत.एच. प्ररूपसंख्या 11) प्रकात स्तम्य तेखा और वित्तीय शक्ति नियम, 1993 का नियम 8, उपनियम (2) ग्रीर (3) नियम 9 देखिए)

19. मास के दौरान धारतीय (तट) प्रकाश स्तम्भों के लेख पर प्रकामदेशों के लिए उपरोक्त पत्तन पर संगृहीत सभी धन का एक लेखा

बही सं.	रसीद सं.	सीमा गुरूक वाउचर सं.	वारीव		पोत का	नाम	
1	2	3		4		5 .	
नास्टर या ग्रभि	ाकर्ताका नाम	किस पत्तन से स				समुद्र यादा	qt
		हा वा क्षित क	न्य का) (यदि ।	(4.06) £)	हे		को
THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	6		7		8		9
प्रागमन की तारीख	प्र स्थान की तारीख	वह तारीख विसरी संदेव हो		नई प्रति	विदेश टनभार-	जाने दाले जर रकम	न बारापोत
10	11	12	13		14	15	17
बदेशी व्यापार नधार-रकम	जलधारा पोत		दालगोत इ.सार-नक्ष्य	प्रकाश स्तम्भ भीर प्रकाशपीत के निदेशक को दी गई रकम	ड्राफ्ट की		
16	17	18	. 19	20	21		22
टप्पणी : —य	गाई एल एच प्रक	ं के कलेक्टरों द्वारा प्र ४ क्षेत्रा 9) के प्रतिक कोई प्रतिदास किया व	ला के साथ म	रहानिदेशक, प्रकाश	स्तम्भ ग्रार	प्रकाशपात व	ा अग्रावत
वि स स इन [(ग्राई	माप्ति पर लिखा व कता है जब तक श्रा त प्ररूपों की ग्रांद । .एल.एच. प्ररूप को	ार् तथा सकत राजस्य है (ई.एन.एच. प्रक्य तंत्र राजस्यकता हो तो महा स्या 12) प्रकास सम्ब	ते कटौती की ज मा 10 पर उरि विदेशक प्रकाश	सए । किसी भी प्री तत वाउचर पर प्रेषि स्तम्भ, प्रकाणपोत क	तेदाय की त नहीं कि प्रावेदन पत्र	श्चनुज्ञात नहा या जाए। जब भेजें जाएं।	किया जा गकभीभी
वि स स इन् [(ग्राई ग्रनुसूर्च	माप्ति पर लिखा ज कता है जब तक क्रा ग प्ररूपों की क्रांद । ,एल .एच. प्ररूप को 1 4 देखिए]	ार् तया सकत रायस्य है (ई.एन.एच. प्रक्य संव शायस्थकता हो तो सह	ते कटौती की ज या 10 पर उचि विदेशक प्रकाश है लेखा और वि	ताए । किसी भी प्री वन वाउचर पर प्रेषि स्तम्भ, प्रकाणपीत व वनीय शिवतयां निय तीय प्रकाणस्तम्भ प्रक	तदाय की त नहीं कि प्रावेदन पत म, 1993 पों के लिए	अनुज्ञात नहा या जाए। जब भेजें जाएं। का नियम 8 मांग-पद	किया जा गकभीभी
वि स स इन् [(ग्राई ग्रनुसूर्च	माप्ति पर लिखा ज कता है जब तक क्रा ग प्ररूपों की क्रांद । ,एल .एच. प्ररूप को 1 4 देखिए]	ार् तथा सकत राजस्य है (ई.एन.एच. प्रक्य हैंव श्रावस्थनता हो तो महा ह्या 12) प्रकास साम्य	ते कटौती की ज या 10 पर उचि विदेशक प्रकाश है लेखा और वि	ताए । किसी भी प्री तत वाउचर पर प्रेषि स्तम्भ, प्रकाणपोत व विनीय शिवतयां निय	तदाय की त नहीं कि प्रावेदन पत म, 1993 पों के लिए	अनुज्ञात नहा या जाए। जब भेजें जाएं। का नियम 8 मांग-पद	किया जा गकभीभी

.......

(-)		-	a . 44 13, 1985/	वशाख 23, 1917		11
(ক)	से अवधि के दौर	ान प्राप्त	(क) से ग्रवधि	ने दौरान जारी		' 31 मार्च को श्रति
बहियों की सं.	प्ररूपों की सं.	प्ररूपों की सं.	बहियों की सं.	प्ररूपों की सं.	प्ररूपों की स . बहियों की सं.	प्ररूपोंकी प्ररूपों सं. सं.
से वह अवधि जि	नस तक वे समाप्त ह	हो सकते हैं		ग्रगले मासों में खप	त के लिए अपेक्षित	की संख्या
याई.एल.एच.						
माई.एल.एच.						
ग्राई, एल, एच.	प्ररूप संख्या 11		Marian In			
					सीमा शु	ल्क श्रधिकारी
संख्वा ग्राई.एल	. च. प्ररूप सख्य	ा 13 (काश स्तम्भ	लेखा और वित्तीय यान सामग्री के रि		1993 का नियम	37 देखिए)
			सख्यांक			
	ATTENDED		तारीख			
ाकाश स्तंभ या प्र ज़पया नीचे उल्लि	काश जलयान का व खित वस्तुओं का प्रव	गम———— गय करें				
वर्णन		ग्रभियान की माला		माला		टिप्पणी
			मापदंड के अनुसार अनुज्ञात	पास में. श्रतिशेष	ग्रपेक्षित	की गई आपूर्ति की माता
ान सामग्री की मां धिकारी	ांग करने वाला	हस्ताक्ष हस्ताक्षर	र			वीकृत गारी
ाई.एल.एच. प्र	रूप संख्या 14 (प्रकाश स्तंभ लेखा औ	र वित्तीय शक्तिय	ं नियम, 1993 व	हा नियम 38 देरि	खए)
		व	ीमत भंडार खाता			
स्तुओं के नाम				दर ———		
टाक परिसीमा-				सर्वेक्षण		
रूनतम	-			रीख को किया गय		
ाधिकतम———						लेखा में समायोजित
ाप्ति		- नि	गिम		टिप्पणी	
गारीख वि	विशष्टयां	मान्ना मूल्य	टिप्पणी	तारीख	<u> </u>	मृत्य ग्रहिणेष
			74-01			

माई.एल.एच. प्ररूप संख्या 15

(प्रकाश स्तंभ और विसीय शक्तियां नियम, 1993 का नियम 38 देखिए)

जिला

	प्राप्ति और ग्रतिशेष		निर्गम			23 (1922)
हम नाम संख्या	पिछले मासों का आगे लाया गया प्रतिशेष	— मास के दौरान प्राप्ति	योग	मास के दौरान निर्गम	मास के अत में अतिशेष	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
	एल.एच. प्ररूप संख्या शास्त्रभ लेखा और विती नाम	य ज्ञक्तियां नियम, 19	993 का नियम 4 तंकमें रजिस्टर	0 (4) देखिए] वर्ष	, sign, dan gan digin kan kan kan dan dan kan san san san san san san san san san s	बजट व्यवस्था
तारीख	बिल संख्या	संक्षिप्त		न्यय		
	नामें मंदर्भ	विशिष्टयां	भूमि इर	सिविल नीनियरी कार्य	विद्युतीकरण .	2 V1.42
1	2	- 3	4	5	6	7
		उपस्कर			प्रगामी प्रयोग	and the site of the same of th
लागत/सी	मा जुल्क	डुलाई और ग्रन्य प्रकीर्ण प्रभार	संस्थापन	स्तंभ 4 कायं		कर के लिए यो
	9	10		11	12	13
8		प्रभा	री का भार			
8		ह.पै.	स.पै.	ह. पै.	ह. पै. ह. पै.	₹. पै.
	का नाम		ig man order tipligation and on a constitution		Make these dates are the second of the secon	
8 निर्माण कार्यों संबंधि	का नाम —— से —— तक	-1				

और ग्रन्य मामलों में यह प्रभागीय ग्रधिकारी द्वारा भरा जाएगा।

बाई, एत. एवं, प्रस्त संबंग 17

[इकार स्तम्भ लेखा और वित्तीय शक्तियां नियम, 1993 का नियम 41 (1) देखिए] प्रवदाय रोकड़ लेखा

(वैरा 6-6-8 से 6-6-12 तक मैं निर्दिष्ट)

----की अग्रदाय रोकड़ बही

मास और वाउचर संख्या तारोख		संब्यवहार	प्रत्येक श्रदायगी की रकम	जोड़	लेखा गीर्ष
1	2	3	4		-
				5	G

ह. प.

माई.एल.एच. प्ररूप संख्या 18 [प्रकाश स्तंभ लेखा और वित्तीय शक्ति नियम 1993 के नियम 42 (1) देखिए] माप पुस्तकों का रजिस्टर

पुस्तक कम सं.	किससे प्राप्त किया गया	प्राप्ति की तारीख	कार्यका नाम जिसके लिए जारी किया गया	जारी करने की तारीख	कार्य के पूर्ण होने पर पुस्तक के भरे जाने पर वापिस करने की तारीख	टिप्पणी
1	2					
1	2	3	4	=		

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (Shipping Wing)

New Delhi, the 25th April, 1995

G.S.R. 239.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 21 read with Clause (e) of Sub-Section (i) of Section 4 of the Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927) the Central Government after consultation with the Central Advisory Committee hereby makes the following rules namely :-

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Lighthouse Accounting and Financial Powers Rules, 1993.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definition: In these rules, unless the context otherwise requires.
 - (a) "Department" means the Department of Lighthouses and Lightships.

- (b) "Director General" means Director General of Lighthouses and Lightships and Chief Inspector of Lighthouses.
- (c) "Deputy Director General" means Deputy Director General, Department Lighthouses and Lightships.
- (a) "Director" means the Director of Lighthouses and Lightships.
- (ϵ) "Form" means a form annexed to rules.
- (f) "General Lighthouses" means any Lighthouses which the Central Government may, by notification in the official Gazette declare to be a General Lighthouses for purpose of the Indian Lighthouse 1927.
- (g) "Lighthouse" includes any light vessel, fog signal, buoy, beacon or any mark, sign or apparatus exhibited or used for the guidance of ships.

- (h) "Lighthouse Workshop" means Lighthouse Workshops of the Department of Light-houses and Lightships.
- (i) "Local Lighthouses" means any Lighthouse which is not a General Lighthouse.
- (j) "Local Lighthouse Authority" means the State Government or Local Authority or other person having the superintendence and management of a Local Lighthouse.
- (k) "Pay and Accounts Officer" means such Officer of Office of the Controller of Accounts, Ministry of Surface Transport.
- (1) "Schedule" means a Schedule annexed to these rules.
- 3. Organisation of the Department :---
 - (a) The Government of India in the Ministry of Surface Transport shall be the Controlling Authority of management and control of all General Lighthouses.
 - (b) There shall be a Central Advisory Committee for Lighthouses. Among other things the Committee shall consider the accounts and advise on the rate of lightdues.
- (c) The Government of India will be assisted by the Director General of Lighthouses and Lightships and by three or more Deputy Director Generals.

The Director General will advise the Min'stry of Surface Transport on the administration of the Lighthouse Act, 1927 and in particular shall deal with the following subjects:—

Lighthouse Engineering including maintenance, repairs and alteration of existing stations and their approaches new works, experiments and lighthouse tenders and contracts.

- (d) There shall be Lighthouse Workshops at Calcutta, Madras, Bombay, Jamnagar and Port Blair. New Lighthouse Workshops will be opened as and when considered necessary.
- (e) (') The coastline of India shall be divided into Lighthouse Districts as under .—

Name of Lightho	use Jurisdiction
(1)	(2)
District:	
(1) Jamnagar	State of Gujarat West of Long 72'-30'-00." E.
(2) Bombay	States of Karntaka, Maharashtra and Goa and area of Gujarat State, which is east of long72'-30'00'E.
(3) Cochin	State of Kerala and Union Territory of Lakshadweep.
(4) Madras	State of Tamil Nadu, Union Territorry of Pondic erry and State of Andhra Pradesh bounded by lat. 16'—16'— 00" E.

- (5) Port Blair
 Andaman and Nicobar Islands
 (6) Calcutta
 States of West Bengal, Orissa and
 Part of Andhra Pradesh North
 long. 16'-16'-00" E.
 - Notes: Lighthouses at Alleppey, Kovilthottan,
 Tangasseri Point (Quilon) Asjengo and
 Vilinjam located in Kerala State which are
 under the charge of Director, Madras District at present shall be transferred to the
 Director, Cochin Lighthouse District in
 due course taking into consideration the
 adequate conveniences and facilities available for maintenance of the Lighthouses
 in the said Lighthouse District.
 - (ii) Each Lighthouse District shall be under the charge and control of a Director, who is responsible to the Director General for the general administration of the Lighthouses in his District.
 - (f) Lighthouse are divided into two classes:-
 - (i) "General Lighthouses" as specified in Schedule-I, which are benefits to passing trade, shall be maintained by Government of India out of the dues levied on shipping as mentioned in Schedule-II.
 - (ii) "Local Lighthouses" that is, Lighthouses which are mainly of use to ships entering or leaving particular Ports. Local Lighthouses will be maintained by a Local Authority, usually a Port Authority. Grants may be made by the Government of India for the provision of maintenance of Local Lighthouses which are also used as marks by passing trade.

4. General form of accounts:

- (i) The general form of accounts and the procedure relating to record of financial transactions pertaining to General Lighthouses shall be in two parts, one containing:
 - (a) An Income and Expenditure Account and a Balance Sheet and the other containing.
 - (b) A continuance of the Government Account amplified so as to facilitate the preparation therefrom of the accounts set out in sub-clause (a).
- (ii) The financial transactions of the Department shall be recorded by the Pay and Accounts Officer, under the various heads as at Schedule-III.
- (iii) In order to ascertain whether the Lighthouse Service is self supporting, provision shall be made for the record within the Government account of certain expenditure as capital expenditure and of the following charges as revenue expenditure in addition to ordinary running expenses and annual maintenance:—
 - (a) A portion of the cost of service of any officer of the Government doing any

- Lightships. The Pay and Accounts Officer shall be furnished with a copy of the cost of such service annual-
- by other Departments of Government including the value of sta-
- (c) Contributions payable to other local
- (4) Interest chargeable at the rate to be prescribed by the Ministry of Finance from time to time.
- (e) Depreciation of fixed assets.
- (f) Annual charge for pensionary liability.
- (g) Cost of accounts and audit.

Connection with routine financial matters

5. Rules relating to transactions which are common to all branches of administration such as the drawal of pay, travel expenses and money for contingent expenditure etc. shall be observed.

Rules governing Accounting at Lighthouses and Lightships

6 Fixed Assets.—The Lightkeepers will maintain in I. L. H. Form No. 6 an inventory of furniture, fixings, machine spare parts etc. in which damages, breakages etc. will be entered as and when they occur. No article will be struck off this record until it is condemned or written off by a Director of Lighthouses and Lightships or other authority to whom this power may be delegated, after personal inspection:

Provided that no article the original value of which at the time of writing off exceeds the financial power of the Director General of Lighthouses and Lighthout as 'Head of Department' will be written of without the previous sanction of the Government of India.

- 7. Floating Assets.—The procedure regarding accounting for stores is mentioned in rules 35 to 39.

 Rules governing accounting in the offices of the Counting of Excise and Customs relating to the Counting of refund of Lightdues.—
 - 8. (1) A statement showing the classes into which the ships will be divided and the rates of lightdues payable is given in Schedule-II. The dues will be collected by officers of Customs who will be supplied with books containing 100 forms cach of I. L. H. Form No. 9. This form will be in two parts. The portion marked 'Counterfoil' will be a first copy and that marked 'receipt' will be detachable. The Officers of the Customs collecting the due will enter full particulars in the from, detach and hand over the receipt to the Master or Agent of The dues will be remitted to the Pay and Accounts Officer.

- (2) A claim for a refund will be presented by the claimant in I. L. H. Form No. 10, in duplicate, to the Officers of Customs at the neares. Port of call but, except with the special authority of the Ministry of Surface Transport especially repayments are not to be made without the production of the original receipts. Whenever refunds of lightdues are allowed by the officers of Customs, a note to that effect will be made by him against the original entries of receipt for lightdues recorded in I. L. H. Form No. 11.
- (3) The Officer of Customs Department first account for the entire collection account of lightdues in the public account of India under the Head "8658-Suspense Account—Pay and Accounts Officer-Suspense-items adjustable by Pay & Accounts Officer, Lighthouses and Lightships, New Delhi". The above will appear under the above Head of Accounts of different Accounts Officers of Customs Pay and Central Excise Department as well as , the consolidated accounts of the Central Board of Excise and Customs. Within 15 days of closing of the monthly accounts, the Pay and Accounts Officer of Customs Central Excise Department will reconcile the collections booked under the Head "8658—Suspense", referred to above, with the copies of I.L.H. Form No. 11 received by him from the Customs Authorities and will remit the collections through cheque payable at Delhi|New Delhi through any of the nationalised banks to the Pay and Accounts Officer, together with one certified copy of I.L.H.-11. The remittances made by the Pay and Accounts Officers, Customs Central Excise to the Pay and Accounts Officer shall be debited to the Suspense Head referred to above. The Officer of Customs Department shall prepare 3 copies of statement of all collections of refunds in form I.L.H-11 One copy of the statement together with the counterfoil of receipts in form I.L.H-9 and duplicate copy|copies of the refund voucher(s), if any, will be forwarded to the Director General. Two copies of the statement in Form I.L.-11 will be forwarded by the Officers of Customs Department to the Pay and Accounts Excise' Officers. Customs Central The Officer of Customs Department also prepare annually an abstract ing light dues levied with full particulars and submit a copy of this abstract annually to the Director General.
- (4) The procedures dealing with ILH Form Nos. 9 to 11 to be observed by Officer of the Customs are contained in Schedule-V.

Rules governing Accounting in the office of Director General of Lighthouses and Lightships:—

 (1) The Director General will as mentioned in Sub-rule (3) of rule (8), after receiving form ILH No. 11 from the Officer of Cus-

toms Department check the entries from the counterfoil etc. and take further action in case of any discrepancies in the collection of Lightdues by addressing the Officer of Department concerned. The Customs Director General will also reconcile the collection of lightdues with the actual realisation of cheques as shown in the books of the Pay and Accounts Officer

- (2) All payments shall be made by the Directors who have been delegated powers of change drawing, by the issue of changes on the basis of the bills prepared. The Director General will obtain money through bills presented to the Pay and Accounts Officer When money is drawn on the basis of cheques issued by the Directors, comes of all such bills supported by wouthers when necessary, should be sent to the Pay and Accounts Officer in the prescribed from more later than the 7th of the month full wing that on which the money is drawn
- 10. Stores .- The Directors will keep a close want on stores accounting and control and will setting themselves that all stores received and paid for have been duly recorded and procedure regarding accounting of stores has been duly observed as mentioned in rules 35 to 39
- 11. Depreciation.—The Director General will maintain a register of fixed assets in ILE Form No. 6. The total amount of depreciation on fixed assets will be worked out by him yearly in LLH. Furm No. 7 and a copy of the statement will be forwarded an the Pay and Accounts Officer for arranging mercentry adjustment. In this connection the provinces of rules 22 to 25 are to be observed.
- 12. Budget Estimates.—Annual estimates of receipted and expenditure for purpose of revised and budges estimates will be prepared by the Directors in the month of September of the year and sent to the Director General.
- 13. Rules governing Accounting in Account Offices In addition to the items of Income and Expenditure referred to in Sub-rules (1) and (2) of rule Sub-rule (2) of Rule 9, entries in following transactions will be recorded in the Green following transactions. ment accounts by the Pay and Accounts Officer printered to in rule 4.
 - (a) (i) Amounts received from any Local Light house Authority for the management of the General Lighthous:
 - (ii) Interest received from Government on the Depreciation Reserve and General Reserve Funds referred to in rule 29!
 - (b) With regard to the expenditure on the following items, payments adjustments will be made in the Government accounts by the Pay and Accounts Officer, namely:-

Direct Charges :-

(i) Portion of the cost of services rendered by officers and staff of the Ministry of Surface

- service for the Department of Lighthouses and Lightships.
- (E) Charges for work done by the Officers of Customs Department for the collection of
- (E) Charges for work done for the Department of Lighthouses and Lightships by Central Public Works Department or State Public Works Department.
- (B) Value of supplies made of services rendered by the other Departments of the Government.
- Payments made to any Local Lighthouse Authorities for undertaking the management of any General Lighthouse situated in the vicinity of local lights.
- (wi) Contributions made in respect of any local Eghthouse which is used as a mark for passing trade.

Irdirect Charges :--

- (will) Depreciation on fixed assets
- (*III) Pensionary Charges
- (in) Interest on Capital

Information in respect of the above items be communicated to the Pay and Accounts Officer by the Director General.

- 14. Pensionary Charges.—The Pensionary charges will be calculated by the Pay and Accounts Officer at the rates prescribed by the Government of India during the lst week of March of the year and arrange for moressary adjustments in the account for the year. The charges will be calculated on the basis of the total east of establishment booked during the year. Any changes found necessary in the figures of pensionary charges subsequent to the date would be adjusted in the subsequent year.
- Director General a monthly statement of reand expenditure in ILH Form No. 1 compiled from the records in his office to enable the Director General to record and asses the commercial accounts and through them to watch the receipts and expendihave of the Department. The return should be prepared separately for each District including the Headquarters Office of the Director General. A copy of the monthly datement, referred to above, shall also be forwarded by the Pay and Accounts Officer, to the Directors concerned for necessary reconcilation with the departmental figures.
- (2) On receipt of monthly expenditure receipt figures as booked by the Pay and Accounts Officer regular reconcilation work will be attended to by the Office of the Director General of Lighthouses and Lightships, New Delhi and the figures thereof will stand reconciled.
- 16. Rules Governing Accounting in the Office of the Director General of Lighthuses and Lightships, New Delhi,-Commercial Accounts Books : In addi-Transport or any other organisation during it ition to the regular Government accounts maintained

maintain a Journal in ILH Form No. 2 and a General Ledger in ILH Form No. 3 to record the maintain in ILH Form No. 3 to record the massections in commercial form. At the end of each an Income and Expenditure Account (ILH Form No. 4) and Balance Sheet (ILH Form No. 5) will be prepared therefrom. As the working of the system with reference to financial results of the Lighthouse Administration as a whole and not with reference to the figures for each district separately, the Income and Expenditure Account and the Balance Sheet will each be a consolidated one for the whole system in columnar form to show as far as possible, the revenue collected and expenditure incurred in the various Districts.

- 17. Form of Accounts,—The form of accounts particularly the proforma Accounts, Income and Expenditure Account and the Balance Sheet shall be prepared in accordance with the instructions issued by the Ministry of Finance, Central Government from time to time.
- (1) The Income and Expenditure Account and Balance Sheet will also be prepared after taking into account the above instructions.
- (2) From the Accounts for the year 1973-74, the Government Capital should be shown on the liability side as under:—
 - (a) Government Capital Account which will be equivalent to the cost of fixed assests (net) and the other expenditure on Capital Account.
 - (b) Government Current Account for revenue expenditure.
- (3) A stock taking will be carried out at the end of each year by the Director of the District, concerned or any officer authorised by him and the results entered by them in the stock register, valuation being made at cost prices. The valuation placed on wasting assets shown in the register maintained by the Director General on the basis of the valuation adopted at the time of Centralization of the Department with effect from 1st April, 1929 and their probable life as adopted at that time will be included, whenever new assets are acquired, their values on the basis of the cost of acquisition will be recorded in the register. The life of the assets will be recorded on the basis of the formula given in Schedule-IV. The Directors of the District and the Director General at the end of each year will prepare details of financial transactions relating to persons to whom payments for goods supplied or other services rendered (creditors) and of the persons from whom payment is due (debtors). The Directors of the District will forward the statements to the Director General for incorporation in the Commercial Accounts.
- 18. Accounts in the General Ledger.—The following accounts will be opened in the General Ledger.
 - (1) Government Capital Account (equivalent to
 - (2) Government Current Account.
 - (3) Separate Asse: Accounts for land, buildings other than Lighthouses, Lightvessels, fog

- signals, buoys, beacons, other marks, signs or apparatus exhibited or used for the guidance of ships, plant and machinery, furniture and fittings etc.
- (4) Lightdues Account.
- (5) Contributions received.
- (6) Miscellaneous receipt.
- (7) Salary of Gazetted establishment.
- (8) Salary of Non-Gazetted establishment.
- (9) Other Allowances.
- (10) Collecting expenses.
- (11) Contributions paid.
- (12) Stores consumed.
- (13) Upkeep of tenders (vessels).
- (14) Repairs and maintenance.
- (15) Other Miscellaneous charges.
- (16) Compensations.
- (17) Interest on Capital (See rule 19).
- (18) Contributions to the Depreciation Reserve.
- (19) Pensionary charges.
- (20) Audit Fee.
- (21) Income and Expenditure Account.
- (22) Sundry Debtors Account.
- (23) Sundry Creditors Account.
- (24) Depreciation Reserve Account.
- (25) Depreceiation Fund Investment Account.
- (26) General Reserve Fund Investment Account.
- Note:—The list of accounts given in this rule is not exhaustive and additional accounts may be opened as and when necessary. If the accounts are numerous, separate ledgers for personal accounts should be opened.
- 19. Opening Entries in Commercial Account Bocks.—The following entries will be made in the journal on the date the new books are opened, lands, buildings other than lighthouses, lightvessels, fog signals, buoys, beacons, other marks, signs or apparatus exhibited or used for the guidance of ships, plant and machinery furniture and fittings, stores including coal, fuel, oil and provision) sundry detors and cash will be debited with their value on that date, sundry creditors will be credited with the amount due and the surplus account will be credited with balances. The balances as at the date of opening of the books under various accounts will then be posted from the ILH Journal into the Ledger Accounts.
- 20. Records of Income and Expenditure.—The total receipts realised and the expenditure incurred as shown in ILH Form No. 1 received from the Pay and Accounts Officer will be analysed under the various accounts opened in the General Ledger. The receipts will be credited to appropriate accounts by debit to the Government accounts and the expenditure will be cebited to appropriate accounts by credit to Government current account. No attempt will be made to distribute between the severeal districts indirect expenses adjusted through the pay and Accounts

Officer such as interest, pensionary charges, Depreciation charges. These charges will be exhibited under the Headquarters.

- 21. Interest.—Interest shall be calculated in accordance with the instructions issued by the Ministry of Finance, Central Government from time to time.
- 22. Depreciation.—The fixed instalment system of depreciating assets commonly known as the straight line menthod will be adopted. Under this system a fixed percentage determined with reference to the probable future life of the fixed assets is written of each year. Depreciation will be charged from the date of commissioning use of a new asset. In cases where this period comes after the commencement of the financial year, the depreciation will be charged from the begining of the next financial year. No depreciation nor any contribution will be made for the year in which an asset is scrapped or disposed of. The rates of depreciation and the estimated normal life of the assets will be determined by the Director General as mentioned in rule 11. The total amount of depreciation will be worked out by the Director General in ILH Form No. 7 and a copy of the statement to-gether with the amount of depreciation to be adjusted, will be sent to the pay and Accounts Officer for making necessary adjustments. No depreciation will be provided in respect of land on paths and natural landings. These assets will be kept in good repair annually out of revenue. Jettins and mass concrete in boat docks and landings will be treated as depreciating assets.
- 23. Expenditure on the Replacement of a Wasting Asset.—Expenditure on the replacement of a wasting asset will, with the concurrence of the Government of India, and to the extent of the amount lying at the credit of that asset in the Depreciation Reserve will be met out of the Depreciation Reserve Account. The difference between the original cost of the asset or in the case of assets adopted at the time of centralisation in 1929, the value of the asset on that date, and the amount contributed in respect of that asset towards the Depreciation Reserve plus sale proceeds will be debited to Income and Expenditure Account.
- 24. Profit and Loss Account of a Wasting Asset.—When an existing asset is discarded and disposed of, the Loss Profit on sole will appear in the accounts after taking the following details into consideration (hypothetical figures have been used).
 - (1) Original cost of asset Rs. 6,000
 - (2) Depreciation Provided to the
 - date of replacement and sale Rs. 4,000
 (3) Written down value of the asset Rs. 2,000
 - 75) William down war 2
 - (4) Value realised on sale Rs. 500
 - (5) Amount loss transferred to Income and Expenditure account (Dr.) Rs. 1,500
 - (6) If there is profit on the sale of the asset, the profit will similarly be credited to the income and Expenditure Account.

- (7) If an asset on which depreciation reserve is created, then on the sale of asset;
 - (a) Original Cost.
 - (b) Less depreciation provided for
 - (c) Written down value
 - (d) Add: Depreciation Reserve Gross value of asset
 - (d) Sale proceeds
 - (f) Profit Loss on Sale
- 25. The Financial Procedure Regarding Recording of a Non-recurring Expenditure.—The system of Government accounts does not permit the charging of the expenditure incurred in one year to accounts of more than one year, but this is permissible if a more than one year, but this is permissible if a more than one year, but this is permissible if a more than one year, but this is permissible if a more than one year, but this is permissible if a more than one year, but this is permissible if a more than one year, which may be done once in so many years involves expenditure much in excess of the more and expenditure, instead of being charged to the Income and Expenditure Account of one year, may make the orders of the Government of India be stead over a serices of years. This may be done by charging such expenditure to the Depreciation Reserve Account, the reserve being recouped by equated payments from revenue spread over 3, 5 or 10 years as may be ordered by the Government of India.
- 26. Cost of Accounts and Audit.—The amount to be charged will include charges for auditing accounts of the Department of Lighthouses and Lightships. The Member, Audit Board will communicate annually the figures of cost for such works to be exhibited as expenditure in the proforma accounts and it will remain as in the undischarged liability in the Balance Sheet.
- 27. Sundry Debtors and Creditors.—Income and Expenditure account should include the income that accrued during the year whether actually received or not and the expenditure incurred during the year whether actually paid or not, so that balance sheet exhibits the true financial position of the Department. The details of the income which accrued during the year but not actually received will be shown as Sundry Debtors and exhibited in the Balance Sheet.

Similarly all items of expenditure not actually paid during the year will be included in the list of Sundry Creditors and exhibited in the Balance Sheet.

- 28. Allocation of expenditure between Capital and Revenue. The following principles will govern the allocation of expenditure between Capital, Revenue and Deprecation Fund:—
 - (a) Expenditure debited to capital will consist of the cost of construction and purchase of additional lighthouses, lightvessels etc. construction or purchase of new buildings, additious to existing buildings, equipment, furniture and fittings etc. in excess of Rs. 5,000 in each individual case.
 - (b) All expenditure on account of maintenance, repairs and small renewal works which does not affect the life or earning capacity of the assets will be charged to revenue.

- 29. Funds deposited with Government.—The Depreciation, and General Reserve will be funded with Government and interest will be allowed thereon at the rate prescribed by the Government from year to year. The interest to these funds will be treated as 'miscellaneous receipt' and not credited to the funds.
- 30. (1) Closing of the Commercial Books.—(1) The balance in the accounts Nos. 5 to 22 in rule 18 will be closed and the Income and Expenditure Account prepared and the surplus or deficiency ascertained in ILH Form No. 4.
- (2) The Commercial Books will be closed annually and an Income and Expenditure account and Balance sheet prepared in accordance with the instructions issued by the Ministry of Finace, Govt., of India from time to time. The accounts for the year ending 31st March will be closed soon after the clossing of the Government accounts for March supplementary any transactions remaining unadjusted in the accounts for the year being included in the accounts for the succeeding year. The surplus or deficiency of each year will be transferred to the General Reserve Fund and the amount so transferred will be intimated to the pay and Accounts Officer to enable him to make necessary adjustments in the Government accounts.
- 31. Statistical information.—To enable the Central Advisory Committee for Lighthouses to ascertain whether the dues levied do in fact cover the whole of the expenditure they are meant to meet, an abtract in the following form will be given at the foot of the Income and Expenditure Account.—

Particulars

Actual to anage

- (1) Tonnage of foreign going ships
- (2) Tonnage of Home trade ships
- (3) Tonnage of sailing ships
 Total dues collected
 Total expenditure
- 32. Register of fixed assets —For dealing with depreciation of fixed assets, the register shall be maintained in the office the Director General subsidiary to the financial Books. This register will be divided into serveral parts, each part being asserved for a class of fixed assets such as buildings. Enthouse towers, paths and lands, lightvessel, lighthouse tenders, fog signals, buoys and beacons and other marks and signs or apparatus exhibited or used for the guidance of ships. As mentioned in rule 28 the capital cost invested in fixed assets such as furniture and equipment will be kept at a constant figure for the purpose of the commercial accounts, all replacements being met out of revenue. It will not be necessary to maintain a detailed depreciation register for these articles. The register of fixed assets shall be in ILH Form No. 6.
- 33. Audit of store accounts.—The audit of store accounts of various sub-offices of the Directorate General, Lighthouses and Lightships shall be conducted by the Principal Director of Audit, Central, Bombay/Calcutta and State Accountant General concerned. The audit of commercial accounts including stores accounts consolidated at Headquarters of Department of Lighthouses and Lightships, Now Delhi 998 GI/95—14.

- shall be conducted by the Principal Director of Audit, Economic and Service Ministries, New Delhi. Based on the accounts so audited consolidated Proforma Accounts for the Lighthouse Districts shall be prepared by the Director General. As soon as the consolidated Proforma Accounts have been audited by the principal Director of Audit, Economic and Service Ministries New Delhi, audit comments thereon with certified copies of the Income and Expenditure account and the Balance Sheet shall be forwarded to the Ministry of Surface Transport and Director General of Lighthouses and Lightships. The audited accounts shall be placed before the Central Advisory Committee for Lighthouses at its meeting to be held thereafter.
- 34. Classification of stores.—Stores will be divided into 2 categories, namely:—
 - (i) Revenue Stores and
 - (ii) Capital Stores.— Stores chargeable to revenue will be treated as Revenue Stores and those chargeable to capital as capital stores.
- 35. Stores Account.—Proper accounts for the receip ceipt and issue of stores will be maintained outside the general ledger in the District.
- 36. Procedure for purchase of store articles.—Stores will as far as possible, be purchased by Directors after calling for tenders and the conditions of delivery should be clearly defined in the contracts entered into with the successful contractor. The general Rules laid down in the General Financial Rules and the instructions issued from time to time by the Director General shall be followed in the purchase of stores. The bills will be settled by the Directors concerned. The Directors will ensure that the usual certificates of verification of the quantity and quality and of the rates being charged in accordance with the accepted tenders and entry in the requisite stores registers recorded before payment.
- 37. Procedure for supply of store articles to Lighthouses.—Stores will be supplied to the Lightouses only on receipt of requisition slips signed by proper authority. The requisition slip shall be printed in triplicate—each prominently marked in red letters as 'original', 'duplicate' and 'triplicate'. The original copy after the issue of material duly acknowledged, shall be sent to the person responsible for maintaining the priced stores Ledger who will assign value on it and post it in the Ledger. The second copy marked 'duplicate' shall be retained by the authority issuing stores and the third returned to the indentor for accounting receipt at his end. Stores will be supplied to Lighthouses only on receipt of requisition slip, ILH Form No. 13 duly signed by proper authority.
- 38. Maintenance of Priced Stores Ledger.—Separate Priced Stores Ledgers (ILH Form No. 14) will be opened in each District for consumable stores and capital dead stock stores separately to show the value of stores received, consumed and the balances in hand at the end of a given period. The clerk maintaining these registers will be responsible for ensuring

that all stores that have been purchased have been brought on to these stores registers as we'l as stock registers as in the ILH Form. No. 15 kept at the Lighthouse store. The dark we check the carry forward of the balances, quantity issued with standard scale of and review the stock in hand at each purpose of ascertaining if it is necessary purpose of ascertaining if it is necessary further supplies. These registers shall be called a different should himself review the registers should himself review the registers quarter to ensure that the stock position is a standard and the stock position is a standard and the stock position.

- on account of the stores purchased to the Head of account concerned. The cation of the balance of stores at each lead the Lightkeeper-in-charge of the station and once a year inspected by the responsible at the time of his visit, any surplus or definition of the stores purchased by the Cluding those not despatched to the Lightkeeper because of the station at the time of his visit, any surplus or definition of the stores purchased by the Cluding those not despatched to the Lights be carried out at the end of March of every the first accretificate forwarded to the Director General
- 40. Procedure for the maintenance of Account of Capital works of the Department of Lightships.—All capital works in the Department of Lightships and Lightships shall be carted the Departmental agency under the control of Director General.
- (2) The Director General is the Principal Technology of the Department by payments in connection with the capital works ried out departmentally are authorised. He may gate to officers subordinate to him not below the of Denuty Directors, the power of disbursta ment up to rupees fifty thousand in each case peet of capital works carried out departmentally accounts of works will be kept generally on Patricks Department accounting system and lines mentioned in these rules.
- (3) The Director General of Lighthouses and Limishins is competent to sanction original estimate up to certain limit prescribed by the Government from time to time in each case. The sanction of the Ministry of Surface Transport will be necessary in respect of works over and above the prescribed limit. As seen rate detailed estimate is required for each work except in the case of petty works, the total cost of is likely to exceed Rs. 5.000 for sanction of the Director General of Lighthouses and Lightships or the Ministry of Surface Transport as the case may be Excess over estimates requires sanction of the petent authority, namely the Director General and Ministry of Surface Transport as the case may be. The sanctioning authority shall be responsible for communication to the Pay and Accounts Officer for all sanctions accorded by it.
- Note:—For works costing Rs. 5,000 or less, a rough estimate shall be prepared and communicated to the Pay and Accounts Officer by the sanctioning authority. No such estimate

- shall, however, be necessary in respect of purchase of Tools and Plants if the cost involved does not exceed Rs. 1,000.
- An account of the cash transactions for capital works shall be maintained separately by all the Directors entrusted with the execution of the capital works in ILH Form No. 16 Form 1. The detailed introduces prescribed for writing it up are as contained in General Financial Rules, 1963, as applicable to Central Government Departments. The advances for the District on abstract contingent bill forms and a register showing the details of advances drawn, particular of the work for which the advances are dates on which the advance were adjusted about the maintained by the Directors.
- 41. (1) Imprests.—Particulars of Temporary advances made by the Directors of the Districts to the officers working under them for the execution of the ways shall be kept in duplicate, in accordance with the instructions printed on ILH Form No. 17 Imprest The counterfoil will be retained by the instructions printed on ILH Form No. 17 Imprest Temporary will be submitted to the Directors for the respective advances. The District will ensure the adjustment of their subordinate, within the position for non-adjustment of such advances to the Director General of Lighthouses and Lighthouses and
- The Imprest Holder will be responsible for the safe custody and he must at all times be ready to produce the total of the imprest in vouchers or in cash or in both. Within 15 days from the completion of a work for which an advance has specifically been given or at the end of the year, any nuspent balance of an advance in the possession of an officer shall be remained to the Director to close the imprest account.
- when there is a change of an officer the balance of the struck on the date of the struck on the date of the relieved and relieving officers showing the balance made over and received by them respectively. A copy of this note should be forwarded to the Director General.
- Measurement Book.—Payments for all work the otherwise than by daily labour and for all supposed in measurement books. All the measurement books belonging to the Department should be numbered scially and a register of them maintained in ILM Form No. 18 in the office of the Director General. Whenever measurement books are issued to the District, the particulars showing the office to which the books have been issued, the S. No. of each book, the date of issue and the date of its return should be entered in the register.
- (2) The detailed measurements for work or nutchase of stores should be recorded in the books only by the officers specially entrusted with the execution of work or the purchase of stores.

(3) The officers purchasing and or receiving stores, took, plant and material e.c. will maintain a record of such articles in the measurement books at the time of taking delivery. Similarly, in respect of construction work, this book will serve the purpose of initial record of quantity of work done or supplies received. This detailed record of account or measurement will form the basis of verification of all bills which are passed for payment by the Director of the District or other officers authorised to make payment. All such bills will bear the following endorsement by the officer receiving the supplies in addition to the other certificate regarding the quality, quantity and rates of articles purchased:

Date

Signature

- 42. (4) The officer passing the bills should verify the entries in the Measurement Books and also initial them in token of having checked them. From the Measurement Book all quantities should be clearly traceable into the documents on which payments are made, when a bill is prepared for the work measured or supplies made every page containing the detailed measurements must be invariably scored-out by a diagonal red ink line and when the payment is made, an endorsement must be made in red ink on the abstract of measurements giving a reference to the number and date of voucher of payment. In respect of entries made for the work, the officers superior in rank to the person making entries in the measurement books should undertake check measurements upto 10 per cent of the work measurements entered in the books.
- 43. Contingent Register.—Contingent Register (GAR) shall be maintained in each district, the columns of register will be used for recording expenditure of an individual work, the amount of sanctioned estimates being shown in red ink at the top. The register should be periodically checked and initialled by an officer authorised for the purpose by the Director of the District concerned.
- 44. (1) Tools and Plant Register.—The register of Tools and Plant in the form given below shall be maintained by the Director of the District concerned for the use of the Lighthouses or other works under the authority of the Director or any other officer authorised by him. The Director or the officer authorised by him will be responsible for seeing that all articles are returned to the office when they are no longer required, unless they are otherwise disposed off by the proper authority.

Date of purchase	Voucher No.	Amount	Particulars
1	2	3	4

Quantity	Quantity to be received	Balance	alance Initial or officer	
5	6	7	8	9

- (2) A numerical account of the tools and plant purchased in a year will be maintained in I.L.H. Form No. 8.
- (3) Tools and Plant may be transferred to the Lighthouse or stores temporarily at the Lighthouses. An account of all such articles shall be maintained by the Head Lightkeeper. Proper account of such stores should also be maintained in the office of the Director. Whenever there is a change of officer, the relieved officer will have to handover to the successor tools and plant in his charge and report should be countersigned by the Relieving Officer.
- 45. (a) Unserviceable or obsolete tools and plants will be written off after personal inspection by the Director or any other senior officers subject to the financial limit of his power to write-off such articles. Necessary entries will be made in the I.L.H. Form No. 8 and in the Register of tools and plants maintained in the office of Director.
- (b) Physical vertification of tools and plants will be made by the Director or any other resonsible officers deputed by him for the purpose at intervals of a year or at such longer periods as he may deem necessary. The Inspecting Officer, shall report any surplus or deficit to the Director for orders.
- 46. Contracts.—The tenders for contracts for execution of works shall normally be accepted by the Director General. In special cases, he may authorise the Director of the District concerned or any other officer senior to him to accept the tenders. Attested copies of the contract will be forwarded to the Pay and Accounts Officer.
- 47. Contractors' Ledger.—The Accounts relating to contractors shall be kept in the contractors ledgers a separate folios being reserved for all contractors for whom a personal account is maintained. A personal account should be opened in the ledger for every contractor whether or not a formal contract has been entered into with him.
- 48. The Principal Director of Audit, Economic and Service.—Ministries and Accountants General (Audit) Director of Audit shall be responsible for audit of the accounts of the Department. The audit will inter-alia include the following items:—
 - The detailed audit of an expenditure against sanction.
 - (ii) The accounts of works kept in the office of the Director.
 - (iii) The audit of the stores accounts referred to in rules 35 to 39.
 - (iv) The annual figures of depreciation charges with reference to the registers maintained in the office of the Director General.
 - (v) The audit of the receipts of revenue with reference to the financial records in the district concerned.

[No. LH-11012|1|87-SL] B. S. CHAUHAN, Dy. Secy.

SCHEDULE-I

[See rule 3 clause (b)]

List of General Lighthouses

District

I- Jamnagar

- 1. Jakhau
- 2. Chhachhi
- 3. Mandvi
- 4. Mandvi Break Water Head
- 5. Rawal Pir Tomb
- 6. Navinal Point
- 7. Mundra New Port
- 8. Jodiya Bandar
- 9. Navlakhi Bet
- 10. Rozi-Kalyan
- 11. Rozi-Jetty Head
- 12. Bedi Bander
- 13. Pirothan Beadon
- 14. Pirothan Island
- 15. Kalubhar Tapu
- 16. Chank Tapu
- 17. Bural Ree°
- 18. Humani Point (Okhd)
- 19. Samiyani Island centre
- 20. Samiyani Island Nth
- 21. Dwarka Point
- 22. Kachchigadh
- 23. Navadra
- 24. Porbander
- 25. Nivibander
- 26. Mangrol
- 27. Veraval
- 28. Bhirbhanjan Beacon
- 29. Diu Head
- 30. Nawabandar
- 31. Simmar
- 32. Saiyad Rajpura Bhandar
- 33. Jafarabad
- 33A. Jafarabad Aux. Light
- 34. Savai Bet
- 35. Jegri Island
- 36. Jhanj hmer
- 37. Gopnath Point
- 38. Alang
- 39. Piram Island
- 40. Gogha Bandar
- 41. Ruvapari
- 42. Johnston Point
- 43. Bhavanagar Point
- 44. Bhavanagar North Point
- 45. Bhavanagar Old Point
- Distruct II-Bombay
- 1. Luhara Point
- 2. Suvali Point Hazira
- 3. Wasi Borsi
- 4. Kanai Creek (Machhiwada)
- 5. Valsad Khari
- 6. Umargam
- 7. Tarapur Point
 - Tarapur Aux-Light
- 8. Arnala
- 9. Utan
- 10. Chaul Kadu Roofs
- 11. Koriai Fort
- 12. Nanwell Point
 - Nanwall Art-Light

- 13. Tolkeshwar Point
- 14. Jaigarh Head
- 15. Ratnagiri
- Ratnagiri Aux-Light
- 16. Wagapur Point
- 17. Devgarh Harbour (NW of Port)
- 18. Vengurla Rocks
- 19. Vengurla Point
- 20. Aguada
- 21. St. George's Island
- 22. Oyster Rocks
- 23. Bhatkal North of Port
- 23A. Bhatkal Aux-Point
- 24. Kap
- 25. Suratkal Point
- 1. Kasargod
- 2. Kotte Kumnu Mount Delli
- 3. Cannanore
- 4. Kadalur Point
- 5. Baypore
- 6. Popnani
- 7. Chetwai
- 8. Azhikod
- 9. Cochin (Vypin)
- 10. Manakhodam
- 11. Alleppy
- 12. Kovil thottam
- 13. Tangasseri Point 14. Anjengo
- 15. Vilinjam
- 16. Chetlat Island
- 17. Bitra Island
- 18. Kiltan Island
- 19. Kiltan Island S End
- 20. Kiltant Island
- 21. Amini Island
- 22. Agatti
- 23. Androth Island E End
- 24. Androth Island W End
- 25. Kavaratti Island
- 26. Valiyakara
- 27. Suheli par
- 28. Kalpeni
- 29. Minicoy Island
- 1. Muttam Point
- 2. Kanniya Kumari 3. Mana-ppad Point
- 4. Pandiyan Tivu
- 5. Kilakkari
- 6. Point Calimere
- 7. Nagapattinam
- 8. Porto Novo
- 9. Mahabalipur 10. Madras
- 11. Pulicat
- 12. Pondicherry
- 13. Armagaon
- 14. Krishnapatnam
- 15. Ramay-painam
- 16. Nagayalanka
- 17. Machilipatnam
- District V-Calcutta

District

IV-Madras

- 1. Narasapur Ameryedi
 - 2. Sacramento
 - 3. Pentakota

[बार्गा II- व्यंद 3(i)]	मारत का राजपन्न : मई 13, 1995/ वैशाख 20, 1917 <u> </u>					
	4. Pudimadaka 5. Dolphin's Nose 6. Santapille 7. Kalin-gapatnam 8. Gopalpur		21. Chowra 22. Bompoka 23. Cambell B 24. Campbell			
	9. Puri 10. Chandrabhaga 11. Paradip		e number of Lighthouses i on account of closing dow New Lighthouse.			
	12. False Point 13. Dariapur		(b) Local Lighthouses which will receive a grant free Government of India:-			
VI-Andaman & Nicobar Island		District	Name of Local Lighthouse	Amount of grant		
	 East Island Narcondam Island Port Gornwallis Bopung North Button Island Middle Button Island South Button Island 	Bombay (See rul	Kennery Lighthouse SCHEDULE-II le 3 clause (f) Sub-clause (1			
	7. Strait Island 8. Barren Island 9. Andaman Strait E8Entrance 10. Sir Hugh Rose Island		scription of ships/sailing	Rate of Lightnes		
	11. Port Blair North Pon12. Rutland Island	(a) Fore	ign Going Vessels	Rs. 8/- per ton		
	13. North Cinquie Island14. Little Andaman15. Keating Point	(6)	ne Trade Vessels	Rs. 6/- per ton		
	16. Batti Malv 17. Katchall West Bay	(c) Saili	ng Vessels	0.50 paise per ton		
	18. Katchall East Bay	The rates	s for registered tonnage is	subject to variation		

SCHEDULE-III

according to the proposals of the ministry of Surface Trans-

19. Pulo Milow

20. Indira Point

[See rule 4 clause (ii)]

Section	Major Head	Minor Head				
B-Non-Tax-Revenue Economic Services.	1051-Ports Lighthouses and Shipping B-Lighthouses and Lightships.	Light-dues Other Receipts Deduct-Refunds.				
C—Economic Services.	3051-Ports, Lighthouses & Shipping-B-Lighthouses Lightships.	Direction and Administration Lighthouses Working expenses & Management. Operation and Maintenance. Pension. Depreciation Reserve Fund. Central Reserve Fund. Interest on Capital Outlay. Lightships-working Expenses. Management.				
C-Capital Account of Economic Services.	5051-Capital Outlay on Ports, Lighthouses and Shipping-B-Ligh- thouses & Lightships.	Construction and Development of Lighthouses. Construction & Development of other Nav. Aids. Other Expenditure. Tools and Plants. Buildings.				

Section	Major Head	Minor Head
	and the second s	Deduct-Amount-Financed from General
		Reserve Fund Lighthouses and Lightships.
		Deduct-Amount-Financed from Deprecia- tion Reserve Fund-Lighthouses and
The age	ounts should be maintained in web a w	Lightships. ay that the expenditure on renewals and replacements, so

Note: .— The accounts should be maintained in such a way that the expenditure on renewals and replacements, so far as it is met from Depreciation Reserve Fund or from Revenue, ultimately removed from the detailed account of Capital Expenditure in the Government Books.

1.	Reserve Fund
	(a) Reserve Funds
	bearing interest.

815-Depreciation Renewal/Reserve Fund Depreciation Reserve Funds.

Lighthouses and Lightships.

821-General and other Reserve Fund. General Reser

General Reserve Fund Deptt. of Lighthouses & Lightships.

SCHEDULE IV [See rule 17, Sub-rule (3)]		11. Station Machinery 12. Station Plant 13. Electronic/Eelectircal Instruments	20 20 10
Class of asset	Normal life in years	14. Flag Staff 15. Storm signal	20 20
Lighthouse Towers-masonry Lighthouse Towers-cast iron Ligthouse Towers R.C.C. All Buildings other than Ligthouse Towers masonry, cast iron and rein-	160 75 75	 Buoys Lightvessels-Hulls Lightouse Tenders-Hulls Lighthouse Tenders-Engines Jetties-Steel/Timber and pile structures Water Tank-R.C.C. 	15 20 20 20 40 75
forced concrete 5. Revolving Optical apparatus (a) Conventional	50	22. Water Tank-Mild Steel 23. Compound Wall	20 50
(b) Scaled Beam 6. Ligthouse lanterrs (fixed)	25 50	24. Roads and Pathways 25. Miscellaneous like swater supply lines	20 15
7. Radio Beacons 8. Aerial Masts (Mild Steel) 9. Trestles (Galvanised iron/Timber)	15 20 20	26. Street Ligth Posts 27. Beacons and other marks used for	10
10. Loran equipment	15	guidance of ships	2)

SCHEDULE V

[See rule 8(4)]

Rules relating to I.L.H. Forms Nos. 9 to 11 requisition for forms for use in the collection and refund of the dues (I.L.H. Forms No. 9 to 11 should in all cases be made to the Director General of the Lighthouses & Light-ships in Form No. 12)

The books should be kept under lock and key in the personal custody of a responsible officer who when relieved, should take a receipt for the correct number of the forms made over to the relieving officer. When applications are made to the Director General of Lighthouses & Lighthouses for fresh supplies of forms the number of forms in hand at the time of application should be stated.

Books should be issued consecutively according to the printed numbers, the lower numbers being issued firs and not more than one book of 100 Forms should be used at the same time by officer of Customs.

Great care should be exercised in the preservation of these forms and any forms cancelled or defaced should, together with the corresponding counter part be attached to the accounts for transmission to the Director General of Lighthouses and Lightships. The numbers of any forms lost or destroyed should be stated with an explan ation on the accounts, the numbers of the unused light does receipt forms in hand should be supported by officer of Customs on their accounts rendered monthly to the Director General of Lighthouses and Lighthships.

When however only a portion of the light due s is repaid, the officer of customs may return the original receipt to the Steamer Agent after endorsing thereon the amount repaid, the duplicate repayment voucher fowarded to the

Director General of Lighthouses and Lightships, should however contain a certificate regarding the amount refunded and the particulars of the original receipt of which it relates.

When light dues are repaid the voucher obtained for repayment should be in duplicate, the original receipt being retained and attached to the corresponding repayment (duplicate) voucher transmitted to the Director General of Lighthouses and Lightships, with the accounts.

I.L.H. Form No. 1 [See rule 15(1) of Lighthou. e Accounting and Financial Powers Rules, 1993]

Pay and Accounts Officers, Lighthouses and Lightships New Delhi.

	Statement of Rcc	ceipts of the Depar	tment of Lighthous	ses and Lightships	
Major Head	Minor Head	Detailed Head	Collections received during the month	Progressive Total	Remarks
			Ľ;	Pay & Accounts (ghthouses and Ligh New Delhi.	Officer, atships
Statement of Expenditure or the Month of	e of the Departmen	nt of Lighthouses	and L'ghtships (Г	Distr.
Major Head	Minor Head	Detailed Head	Expenditure during the month	Progressive Total	Remarks
	e Accounting and I				
See rule 16 of Lighthous	ourna i for the ment	h of Lodger Folio	19		'r.
See rule 16 of Lighthous Jo	ourna i for the ment	h of Ledger Folio	19		r.
See rule 16 of Lighthous Jo	e Accounting and	h of Ledger Folio	19		

Surplus

I.L.H. Form No. 4

(See rules 16 and 30 of Lighthouse Accounting and Financial Powers Rules (1993) Income and Expenditure Account of the Department of Lighthouses and Lighthships for the year ended the 31st March, 19

THE RESERVE OF THE PARTY NAMED AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED ASSESSMENT	And the state of t					
Expenditure	Name of District	Total	Income	Name of District	Total	
	D.Strict					

Salaries and Wages
Travel Expenses
Office Expenses
Rent, Rates and Taxes
Payment for Professional and
Special Services
Oil and other Lighting Stores
Other Stores Materials and Supplies
Fuel and Coal, Pension
Interest on Capital Outlay
Contribution to Depreciation
Reserve Fund
Cost of Accounts and Audit
Other charges
Maintenance of Beats and Tender

ILH Form No 5

(See rule 16 of Lighthouse Accounting and Financial Powers Rules 1993)

Balance Sheet of the Department of Lighthouses and Lightships as at 31st March, 19

Liabilities	Name of District	Total	Assets	Name of District	Total
Government			Fixed Assets		
Capital Account Capital Outlay Sundry Creditor (Capital) Sundry Creditor (Revenue Government Current Account Audit Fee Depreciation Reserve Fun Surplus			Current Assets Sundry Debtors Stores Cash Investment Depreciation Reso General Reserve I	erve Fund Fund	
Total			Total		

I.L H Form No. 6

(See rule of Lighthouse Accounting and Financial Powers Rules, 1993)

Rogister of Fixed Assets

- 1. Item No.
- 2. Particulars of Assets.
- 3. From whom purchased or by whom constructed.
- 4. Date of purchase of construct on.

- Original cost.
- 6. Value on date of introduction of new accounts.
- 7. Estimated future working life.
- 8. Rate of depreciation.
- 9. Sale or disposal of assets

Year	Value on 1st April	Additional	Total	Depreciation for the year.	Value on 1st March.	Remarks
	1974-75					
	1975-76					
	1976-77					
	1977-78					
	1978-79					
	1979-80					

I.L.H. Form No. 7 (See rule 11 of Lightouse Accounting and Financial Powers Rules, 1993) Summary of Depreciation Charges

1	2	3	4	5	6
Description of the fixed assets	Value on 1st April	Additions during the year ending on 31st March, 19	Total Col 2 &	Depreciation for the year ended 31st March. 19	Value on 31st March 19

I.L.H. Form No. 8

[See rule 44(2) of Lighthouse Accounting and Financial Powers Rules' 1993]

STOCK AND TOOKS AND DEAD TO

Name of Article Maximum				OCK AND TO Stock Verified Result adjusted	OOLS AND		
Minimum							
Date of Purchase and Name of Suppliers	Amount	Particulars .	Qty. received	Qty. issued written off.	Balance	Initials of officer	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1							<u>-</u>
3							

I.L.H. Form No. 9

[See rule 8 of Lighthouse Accounting and Financial Power Rules, 1993]

Вс	ook No.	Receipt	Counterfoil Light-dues	
The state of the s		Name of Si	;	Digiti duos
			7	0
		From		On a voyag
		Tiom		
Indian Coast Lig	ths	Custom H	ouse	Counterfoil Date
		Port of State bel	onging to	
	+			
On a voyage	oraniosas svenska			
		То		
(a) Course taken by	way of			
ame of Master	Date on arrival	Date of departure	Date on which dues became payable	Tonnage
1	2	3	4	5
Rate	Remarks (b)	Name of port at which dues were last paid	Date on which dues became payable at that port	Date of collection of dues at that port
6	. 7	. 8	9	10
•		. in words		
tials of officer grant	ng receipt.	Signature	of Master or Agent	of vessel or his

At the end of the month the counterfoils of the issued receipts are to be cut out of this book and forwarded with the account I.L.H. Form II attached hereto in the event of any receipt from being spoiled it must be sent up with the account I.L.H. Form II in which it would have been entered had it been issued.

When a further supply of these forms is required, application should be made to the Ministry of Transport and Communications (Department of Transport) but in no circumstances are they to be locally printed.

(a) Here describe fully the course for which the vessel is charged.

934 61/95--16.

Indian Coast Lights Custom House Date of departure Date on which dues became payable Tonnage Rate Rem Cast Lights Custom House Rate Rem Coast Lights Custom House Rate Rem Coast Lights Rem Asser or Agent of the above named ship has paid the sum of for light-dues in words Coast Lights. NOTICE:— The Master should preserve this receipt. It may have to be shown to collectors at other ports (a) Here describe fully the course for which the vessel is charged. (b) If the rate levied is less than the maximum the reasons for levying the lower rate should be stated here I.L.H. Form No. 10 [See rule 8, sub-rule(2) of Lighthouse accounting and Financial Power Rules. 1993] Port of Repayment of Light-dues on account of Indian Coast Lights. Name of ship. Belonging to the Tonnage Master's Voyage for which Port at which persons to the course of the co			,				should be stated here.
belonging to Prom To 1 2 3 4 5 Indian Coast Lights Custom House Date of arriva Date of departure Date on which dues became payable Tonnage Rate Rem 6 7 8 9 10 (a) Course taken by way of This is to certify that Mr. Master or Agent of the above named ship has paid the sum of for light-dues account of Ind Collector. NOTICE:— The Master should preserve this receipt. It may have to be shown to collectors at other ports (a) Here describe fully the course for which, the vessel is charged. (b) If the rate levied is less than the maximum the reasons for levying the lower rate should be stated here I.I.H. Form No. 10 [See rule 8, sub-rule(2) of Lightouse accounting and Financial Power Rules, 1993] Port of Repayment of Light-dues on account of Indian Coast Lights. Name of ship. Belonging to the Tonnage Master's Voyage for which port of (if British or state of (if foreign) Here state ground upon which repayment is claimed. Given the above claim and certify to the best of my knowledge and belief that the statements madered and account of an account of an angular statements are correct. I also certify that this order of refund has been revisitered and noted capins the scienced agree or are correct. I also certify that this order of refund has been revisitered and noted capins the scienced agree or an are correct. I also certify that this order of refund has been revisitered and noted capins the scienced agree or an are correct. I also certify that this order of refund has been revisitered and noted capins the scienced agree or an area correct. I also certify that this order of refund has been revisitered and noted capins the scienced agree or an account.	Book No.		Recei	pt No.		Ligh	t-dues
Indian Coast Lights Custom House Recustom Custom House Custom House Custom House Custom House Custom House Custom House Recustom Custom House Custom House Custom House Recustom Custom House Custom House Custom House Recustom House Recustom House Custom House Recustom House Custom House Recustom House Re	Name of Ship			. 0	n a voyage	69	Date of arrival
Indian Coast Lights Custom House Date of departure Date on which due's became payable 6 7 8 9 10 (a) Course taken by way of This is to certify that Mr. Coast Lights. Rs. () Master or Agent of the above named ship has paid the sum of for light-dues account of Indian Coast Lights. NOTICE:— The Master should preserve this receipt. It may have to be shown to collectors at other ports (a) Here describe fully the course for which, the vessel is charged. (b) If the rate levied is less than the maximum the reasons for levying the lower rate should be stated here I.L.H. Form No. 10 [See rule 8, sub-rule(2) of Lighthouse accounting and Financial Power Rules. 1993] Port of Repayment of Light-dues on account of Indian Coast Lights. Name of ship. Belonging to the port of (if British or state of (if foreign) Here state ground upon which repayment is claimed. (month) 19 Signature of claimant. "I have examined the above claim and certify to the best of my knowledge and belief that the statements maderen are correct. I also certify that this order of refund has been registered and need gainest the creanal second are correct. I also certify that this order of refund has been registered and need gainest the creanal second are correct. I also certify that this order of refund has been registered and need that the statements maderen are correct. I also certify that this order of refund has been registered and need gainest the creanal second are correct. I also certify that this order of refund has been registered and need that the statements maderen are correct. I also certify that this order of refund has been registered and need gainest the creanal second are correct. I also certify that this order of refund has been registered and need that the statements maderen are correct. I also certify that this order of refund has been registered and need the statements maderen are correct. I also certify that this order of refund has been registered and need the statements maderen are correct.				From	To		
Date of departure Date on which dues became payable Tonnage Rate Rem Rem Coast Lights. Notice:— The Master should preserve this receipt. It may have to be shown to collectors at other ports: (a) Here describe fully the course for which, the vessel is charged. (b) If the rate levied is less than the maximum the reasons for levying the lower rate should be stated here LLH. Form No. 10 [See rule 8, sub-rule(2) of Lightouse accounting and Financial Power Rules, 1993] Port of Repayment of Light-dues on account of Indian Coast Lights. Name of ship. Belonging to the port of (if British or state of (if foreign) Here state ground upon which repayment is claimed. (month) 19 Signature of claimant. "I have examined the above claim and certify to the best of my knowledge and belief that statements mad remain are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted coast the original exception are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted coast the original exception are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted coast the original exception are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted coast the original exception are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted coast the original exception are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted coast the original exception are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted coast the original exception.	1	2		3		4	. 5
dues became payable 6 7 8 9 10 (a) Course taken by way of This is to certify that Mr. Master or Agent of the above named ship has paid the sum of for light-dues account of Indian Collector. NOTICE:— The Master should preserve this receipt. It may have to be shown to collectors at other ports (a) Here describe fully the course for which the vessel is charged. (b) If the rate levied is less than the maximum the reasons for levying the lower rate should be stated here I.L.H. Form No. 10 [See rule 8, sub-rule(2) of Lighthouse accounting and Financial Power Rules, 1993] Port of Repayment of Light-dues on account of Indian Coast Lights. Name of ship. Belonging to the Port of Indian Coast Lights. Name of ship. Belonging to the Tonnage Master's Voyage for which port of (if British or state of (if foreign) Here state ground upon which repayment is claimed. (month) 19 Signature of claimant. "Lave examined the above claim and certify to the best of my knowledge and belief that the statements made certify are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted capacity the criminal account of the port of that this order of refund has been registered and noted capacity the original account are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted capacity the original account and certify to the best of my knowledge and noted capacity the original account and certify to the best of my knowledge and noted capacity the original account and certify to the best of my knowledge and noted capacity the original account and certify to the best of my knowledge and noted capacity the original account and certify to the best of my knowledge and noted capacity the original account and certify to the best of my knowledge and noted capacity the original account and certify to the best of my knowledge and noted capacity the original account and certify to the best of my knowledge and belief that the statements made account and certify to the best of my knowledge and best ac	Indian Coast Ligi	hts	Cu	istom House			Receip Date
(a) Course taken by way of This is to certify that Mr. Master or Agent of the above named ship has paid the sum of for light-dues account of Ind Collector. NOTICE:— The Master should preserve this receipt. It may have to be shown to collectors at other ports (a) Here describe fully the course for which, the vessel is charged. (b) If the rate levied is less than the maximum the reasons for levying the lower rate should be stated here I.L.H. Form No. 10 [See rule 8, sub-rule(2) of Lightouse accounting and Financial Power Rules. 1993] Port of No. Repayment of Light-dues on account of Indian Coast Lights. Name of ship. Belonging to the port of (if British or state of (if foreign) Here state ground upon which repayment is claimed. Of (month) 19 Signature of claimant. "Lhave examined the above claim and certify to the best of my knowledge and belief that the statements made erein are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted swains the certifial account of refund has been registered and noted swains the certifial account of refund has been registered and noted swains the certifial account of refund has been registered and noted swains the certifial account of refund has been registered and noted swains the certifial account of refund has been registered and noted swains the certifial account of refund has been registered and noted swains the certifial account of refund has been registered and noted swains the certifial account of refund has been registered and noted swains the certifial account of refund has been registered and noted swains the certifial account of refund has been registered and noted swains the certifial account of the control account of the control account of the control account of the control account of the swains account of the control account of	Date of departure			Tonnage	Ra	te	Remark
This is to certify that Mr. Coast Lights. Rs. () Master or Agent of the above named ship has paid the sum of for light-dues account of Ind Collector. NOTICE:— The Master should preserve this receipt. It may have to be shown to collectors at other ports (a) Here describe fully the course for which, the vessel is charged. (b) If the rate levied is less than the maximum the reasons for levying the lower rate should be stated here I.L.H. Form No. 10 [See rule 8, sub-rule(2) of Lighthouse accounting and Financial Power Rules. 1993] No. Repayment of Light-dues on account of Indian Coast Lights. Name of ship. Belonging to the port of (if British or state of (if foreign) Here state ground upon which repayment is claimed. of (month) 19 Signature of claimant. "Lave examined the above claim and certify to the best of my knowledge and belief that the statements madered are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted examine the colorinal account of the port of the colorinal account of the port of claimant.	6	7		8		9	10
Coast Lights. Rs. () in words account of Indicates in words account in the ports (a) Here describe fully the course for which the vessel is charged. (b) If the rate levied is less than the maximum the reasons for levying the lower rate should be stated here LLH. Form No. 10 [See rule 8, sub-rule(2) of Lighthouse accounting and Financial Power Rules. 1993] Port of No. Repayment of Light-dues on account of Indian Coast Lights. Name of ship. Belonging to the Tonnage Master's Voyage for which port of (if British or state of (if foreign) Here state ground upon which repayment is claimed. (month) 19 Signature of claimant. "I have examined the above claim and certify to the best of my knowledge and belief that the statements madered are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted example the continual certain are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted example the continual certain are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted example the continual certain are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted example the continual certain are correct.	(a) Course ta	ken by way of					
NOTICE:— The Master should preserve this receipt. It may have to be shown to collectors at other ports (a) Here describe fully the course for which the vessel is charged. (b) If the rate levied is less than the maximum the reasons for levying the lower rate should be stated here I.L.H. Form No. 10 [See rule 8, sub-rule(2) of Lighthouse accounting and Financial Power Rules. 1993] Port of Repayment of Light-dues on account of Indian Coast Lights. Name of ship. Belonging to the Tonnage Master's Voyage for which port of (if British or state of (if foreign) Here state ground upon which repayment is claimed. (month) 19 Signature of claimant. "Lhave examined the above claim and certify to the best of my knowledge and belief that the statements maderen are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted chains the original receivable and point of sains the original receivable are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted chains the original receivable are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted chains the original receivable are correct.		Rs. (in	id the sun	account of Indian
Name of ship. Belonging to the Tonnage Master's Voyage for which port at which port of (if British or state of (if foreign) Here state ground upon which repayment is claimed. of (month) 19 Signature of claimant. "I have examined the above claim and certify to the best of my knowledge and belief that the statements maderein are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted against the original receivable.	I.L.H. Form N	te levied is loss than the	ue maximum (hould be stated here.
Here state ground upon which repayment is claimed. ated Of (month) 19 Signature of claimant. "I have examined the above claim and certify to the best of my knowledge and belief that the statements maderein are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted against the original receivable registered and receivable registered and receivable registered and receivabl	I.L.H. Form N	See rule 8, sub-rule(2	2) of Ligthous Port of	the reasons for	levying the lo	Power Ru No.	
Signature of claimant. "I have examined the above claim and certify to the best of my knowledge and belief that the statements maderein are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted against the criminal received.	I.L.H. Form N	[See rule 8, sub-rule(2	2) of Ligthous Port of ght-dues on a	the reasons for se accounting a	levying the lo	Power Ru No.	
Signature of claimant. "I have examined the above claim and certify to the best of my knowledge and belief that the statements maderein are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted against the criminal receives	I.L.H. Form N	Repayment of Lig Belonging to the port of (if British or state of (if	2) of Ligthous Port of ght-dues on a	the reasons for se accounting a ccount of India	nd Financial un Coast Light	Power Ru No. nts.	les, 1993] Port at which paid
Signature of claimant. "I have examined the above claim and certify to the best of my knowledge and belief that the statements maderein are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted against the original receives the contribution.	I.L.H. Form N	Repayment of Lig Belonging to the port of (if British or state of (if	2) of Ligthous Port of ght-dues on a	the reasons for se accounting a ccount of India	nd Financial un Coast Light	Power Ru No. nts.	
Signature of claimant. "I have examined the above claim and certify to the best of my knowledge and belief that the statements maderein are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted against the criminal receives	I.L.H. Form N	Repayment of Lig Belonging to the port of (if British or state of (if	2) of Ligthous Port of ght-dues on a	the reasons for se accounting a ccount of India	nd Financial un Coast Light	Power Ru No. nts.	les. 1993] Port at which paid
"I have examined the above claim and certify to the best of my knowledge and belief that the statements maderein are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted against the original received	Name of ship.	Repayment of Lig Belonging to the port of (if British or state of (if foreign)	Port of Port of ght-dues on a Tonnage	the reasons for se accounting a ccount of India Master's Name	nd Financial un Coast Light Voyage for the dues w	Power Ru No. nts.	les. 1993] Port at which paid
"I have examined the above claim and certify to the best of my knowledge and belief that the statements maderein are correct. I also certify that this order of refund has been registered and noted against the original received	Name of ship.	See rule 8, sub-rule(2 Repayment of Lig Belonging to the port of (if British or state of (if foreign)	Port of Port of ght-dues on a Tonnage	the reasons for se accounting a ccount of India Master's Name	nd Financial an Coast Light Voyage for the dues w	Power Ru No. nts.	les. 1993] Port at which paid
ued.".	Name of ship.	See rule 8, sub-rule(2 Repayment of Lig Belonging to the port of (if British or state of (if foreign)	Port of Port of ght-dues on a Tonnage	the reasons for se accounting a ccount of India Master's Name	nd Financial un Coast Light Voyage for the dues well. I. h) 19	Power Ru No. nts. r which ere paid.	Port at which paid and date of payment

P. .

Received this (date month and year) 19 lightdues at the above part the sum of repayment claimed as above.

From the Collector of being the amount of

Rs.

NOTE: A statement should be attached to every application for refund showing the ports touched by the ship and the due dates for the payment of lightdues beginning from the date of original payment upto the date on which the refund is claimed.

NOTICE: If the amount exceeds Rs. 20 a receipt stamp is required.

I.L.H. Form No. 11

[See rule 8, sub-rule (2) of Lighthouse Accounting and Financial Powers Rules 1993]

Book. No.	Receipt No.	Customs Vr. No.	Date	,	lame of S	hip Name the ma or Age	ester
1	2	3	4		5		6
1 2 3 4 5	Y	*					
Belonging to the part of (if British	Or	On a Voyage		Date of Arrival		Date of Departure	
or state of (if foreign)	from		to			Беригине	
7	8		9	10)	11	
1 2 3 4 5.							
Date on which dues	Rate per ton.	Foreign going	streamship	os Ho	me trade	streamships	
		Tonnage	Amt.	To	onnage	Amt.	
12.	13	14	15		16	17	***
Sailing Ships Am		ount remitted to the		Name of Bank and		Remarks	
onnage Am	Dire & L	ctor of Lightho ghtships	uses	date of Bank	draft.		
18	19	20		21		22	-

NOTE:—This account is to be prepared by the Collectors of Light dues at the end of each month and forwarded with the counterfoils of the issued receipts. (II Form No. 9) attached to the Director General of Lighthouses and Light ships. If any repayments are made the amounts should be entered separately at the close of the account under the column of remarks and the aggregate repayments deducted from the gross revenue. No repayment can be allowed unless a proper voucher on ILH form No. 10 is forwarded. When a further supply of these forms is required application should be made to the Director General of Lighthouses and Lightships.

I.L.H. Form No. 12

Forms Nos.	Balance as I	reported in	n the la	st return	Received	d during th	e period fro	om (a)
	No. of books	No. of	forms	Serial No. of forms	No. of b	ooks No	. of forms	Serial no. of
1	2	3		4		5	6	7
I.L.H. Form No. 9			The second second to make a					
I.L.H. Form No. 10								
I.L.H. Form No. 11								
	Issued dur from (a)	er'od	Bal	Balance on 31st March			d No.	
Forms Nos.	No. of No. books form		Serie No. form	of books	No. of forms	Serial No. of form	which they should last from	for consump tion for next months
	8	9	10	11	12	13	14	15
I.L.H. Form No. 9								
I.L.H. Form No. 10								
I.L.H. Form No. 11								

LL.H. Form No. 13

(See rule 37 of Lighthouse account and Financial Power Rules 1993)

Requisition for Stores

Name of Ligh Please supply	thouse or Light vessel	v:-		Date		
			Qu	antity	To back of	
Description	Denomination or Quantity	Allowed according to scale	Remaining on hand	'Required'	Quantity supplied	Remarks
1	2 .	3	4	5	6	7

[PART II -- SEC. 3(i)]

I.L.H. Form No. 16.

Date	Bill No.	or Brief no	articulars			
	or reference					Electrification
	to Debit		Lan	d Civil E		Electrification.
1	. 2	3		4	5	6
(1) (2)						
(3)						
(5)		The Park of the last of the same of the sa				
		Works	Register	Voor		
		TOTAL	Register	Budget P		
		Expenditur	·		Total of	Progressive
	Equipment				Col 4,5,6, & 1	
				and principle appropriate appr		
Cost	Customs	Freight & other Misc. charges	Installation	Total for equipment		
7	8	9	10	11	12	13
(1) (2) (3) (4) (5)						
	(See I	Rule 41(1) of Ligh	I.L.H. Form	No. 17 ing and Financial P	ower Rules, 19	93)
		IM	PREST CASH	ACCOUNT		
		(Referred	to in Paragraph	s 6-6-8 to 6:6:12)		
mprest (Cash book of					
	Territoria de la Characteria de la casa de la companione de la casa de la casa de la casa de la casa de la cas			As allower to provide the second second to the second seco		e a gramati de mas de montes y e extra mes d
Mon and		Transac	tions	Amount of cash payment	Total	Head of Account
1	2	3		4	5	6

THE GAZETTE OF INDIA MA

		ABS	TRACT	OF	CHAR	GES					
Names of Works				20							
The second secon	Rs.	P.	Rs.	P.	Rs.	Р.	Rs.	P.	Rs.	Rs.	Р.
Periodto								1			
***************************************							,				
							,#x				

N.B.:-This abstract should be filled in by the Sub-divisional Officer when the imprest-holder receives fund from him and in other cases by the Divisional Officer.,

LL.H. Form No. 18

(See Rule 42(1) of Lightouse Accounting and Financial Power Rules, 1993)

REGISTER OF MEASUREMENT PO

-		-	CEOISTER OF IT	THADUKE	MENT BOOKS	
Serial number of Book	From whom received	Date of receipt	Name of work to which issued	issue	Date of return after completion of work/ completion of book	Remarks
1	2	3	4	.5	6	7